वार्षिक

रिपोर्ट

1994

स्वापक

नियंत्रण

ब्यूरो

-भारत-

विषय सूची

भारत में स्वापक औषध व्यापार की स्थिति	1
कार्यनीति	2
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भूमिका	3
अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका	4
भारतीय सीमाओं पर गैर कानूनी स्वापक औषध व्यापार की हाल की प्रवृति का विश्लेषण	5
वर्ष 1994 के दौरान स्वापक औषध कानून प्रवर्तन उपलब्धि	7
राष्ट्रीय समन्वय	27
अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय	33
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्वापक औषध नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना (यू एन डी सी पी) का कार्यान्वयन	35

परिशिष्ट

I. वर्ष 1994 के दौरान उपलब्धि	38
II. एजेन्सीवार जब्ती-1994	39
III. वर्ष 1994 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों सेमिनारों प्रशिक्षणों में भारत ने भाग लिया	40
वर्ष 1994 के दौरान स्वापक औषध मामलों में भारत में गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिक	43
एन एसिटाइलेन्थरेनिलिक एसिड का एक नियंत्रित पदार्थ के संबंध में अधिसूचना	46

भारत में स्वापक अवैध व्यापार की स्थिति

अवैध व्यापार एक अन्तर्राष्ट्रीय अन्तः सम्बद्ध गुप्त प्रक्रिया है । अतः इसके लिए कोई भी प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूप में होनी चाहिए जिससे प्रत्येक नई स्थितियों का निरंतर सामंजस्य किया जा सके । वृहत अन्योन्याश्रय के आधुनिक दिनों में यह समस्या किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में सीमित नहीं रही । स्वापक औषधों की उपलब्धता तथा अनेकता विश्व के पूर्ववती अप्रभावित भागों में फैल रही है । एक वर्ष की उपलब्धि वास्तव में स्वापक औषधों के अवैध व्यापार में निशान बनाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रतिबिम्बित करती है ।

भारत में स्वापक औषध के अवैध व्यापार की उत्पति का परिदृश्य तथा विकास भारत की भौगोलिक स्थिति तथा कार्यनीति के साथ सम्बद्ध है जहां इंडो-पाक सीमा के पार 'गोल्डन क्रीसेंट' से हेरोइन तथा हशीश का भारी अन्तर्वाह है जो स्वापक औषधों की गैर कानूनी रूप से आपूति के लिए विश्व में एक बड़ा क्षेत्र है । उत्तर-पूर्व की तरफ म्यांमार देश विश्व में गैर कानूनी अफीम के लिए एक बड़ा स्रोत है । नेपाल भी हर्बल और रालदार भांग के लिए परंपरागत स्रोत है । जहां तक भारत से तथा भारत में गैरकानूनी अवैध व्यापार का संबंध है, आपूर्ति के ये तीनों स्रोत मांग को बढ़ाने के साथ-साथ स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के दोनों प्रसारों तथा उस स्थिति में भारतीय प्रवर्तन प्रयासों के विस्तार का निर्धारण करने के लिए परम आवश्यक रहे हैं ।

भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो दर्द निवारक तथा अन्य दवाओं के निर्माण के लिए विश्व की मांग की पूर्ति हेतु सरकार के नियंत्रणाधीन कच्ची अफीम का वैध उत्पादन करता है । सरकार का प्रयास रहा है कि वह लाइसेंस युक्त अफीम उत्पादनकर्ताओं से समग्र मात्रा एकत्र करें ।

वैध अफीम के गैरकानूनी माध्यम से विचलन को रोकने के लिए सरकार ने प्रत्युपायों की एक श्रृंखला जैसे कि वर्ष के बाद लाइसेंस के नवीकरण के लिए अफीम की प्रति हेक्टेयर अर्हता फसल में प्रगतिशील वृद्धि करना,अफीम के लिए लाभकर मूल्य का प्रस्ताव तथा पैदा वाले क्षेत्र में प्रभावपूर्ण प्रवर्तन करना आदि का दायित्व उठाया है ।

तथापि, प्रकृति तथा परिमाण में बदलाव के कारण भारत में स्वापक औषधों के विभिन्न पहलुओं के विशिष्ट आयामों के दृश्य लगभग वही रहे है जो 80 के दशक के शुरू में थे । उच्च विकसित तथा कुशलता से बनी हुई भारतीय संचार तथा परिवहन प्रणाली देश के भीतर तथा सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों तथा अन्य देशों के निकास बिन्दुओं में गुप्त परिवहन,भंडारण,वितरण तथा पुनः परिवहन के लिए काम में लाई जाती है ।

कार्यनीति

भारत सरकार ने भारत में स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थों पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों के अनुरूप शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य अधिनियमों का समेकन करके अर्थात अफीम अधिनियम, 1857 और अफीम अधिनियम 1978 तथा हानिकर औषध अधिनियम 1930 तथा स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का अधिनियमन किया । एन0डी0पी0एस0 एक्ट में स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण और निर्गमन के लिए सख्त प्रावधान है ।इसके अलावा स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से हासिल की गई संपति को जब्त करना है । अधिनियम के अंतर्गत सुव्यवस्थित रिर्पोटों और तस्करों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त दण्ड का प्रावधान है ।

सभी प्रर्वतन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए है कि एन0डी0पी0एस0 एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें । अधिकारियों को उनके प्रयास को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है । वाहन एवं संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं । भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है । एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक जो भूमि और समुद्र तट पर लगाए गए है को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान कर दी गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके ।

प्रवर्तन कार्यों में अन्तर एजेंसी सहयोग प्रदान करने के लिए सभी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों में क्षेत्र स्तर के संपर्क सूत्र स्थापित किए जा रहे हैं ।

प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा करने तथा स्वापक औषध अवैध व्यापार पर आसूचना के आदान प्रदान के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर समय-समय पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती है ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भूमिका

एन0डी0पी0एस0 एक्ट काफी संख्या में केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए शक्तियां पदान करता है । एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय रखने के लिए भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय,राजस्व विभाग के अंतर्गत वर्ष 1986 में 17 मार्च,1986 के राजपत्र की अधिसूचना सं0 83 के तहत केन्द्रीय ब्यूरो का गठन किया,जिसका नाम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो रखा गया । विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की भूमिका निभाने के अलावा,स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों को अधिनियम के प्रवर्तन प्रावधनाअें का प्रयोग करने की भी शक्तियां पदान की गई है ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो शीर्षस्थ समन्वय एजेंसी है । यह अपने क्षेत्रीय एककों जो बम्बई,दिल्ली कलकत्ता,मद्रास,वाराणसी,जोधपुर,इम्फाल तथा त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं,के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है ।

क्षेत्रीय एकक आसूचना एकत्र करते है तथा सीमा शुल्क और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्य करते हैं ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भारत तथा विदेशों में अन्तर एजेंसी सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के प्रावधानों को कार्यान्वित करता है ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत सरकार की ओर से हितकारी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में समन्वय की भूमिका निभाई है । प्रवर्तन विषयों पर ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए परस्पर सहयोग को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सरकारों ने स्वीकार किया है ।

अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका

विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका एक दूसरे की पूरक है । केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के मुख्य अधिकारी भारत के स्वापक आयुक्त जो अफीम पोस्त की वैध खेती और अफीम के उत्पादन के नियंत्रण का पर्यवेक्षण करते हैं । केवल भारत ही संसार में अफीम का वैध निर्यातक है ।

राज्य पुलिस के पास प्रवर्तन की समवर्ती शक्तियां है तथा विभिन्न राज्य विशेष रूप से महाराष्ट्र,तमिलनाडु तथा उत्तरपूर्वी राज्यों ने स्वापक रोधक कार्य को सुदृढ बनाने के लिए पहल करते हुए स्वापकों के निष्ठावान समर्पित सैलों की स्थापना की है ।

फेरी वालों और अवैध व्यापार,जिसमें गुप्त रूप से पारगमन अवैध व्यापार भी शामिल है, के नियंत्रण की मुख्य जिम्मेदारी प्रवर्तन एजेंसी, विशेष रूप से पुलिस की है । सीमा क्षेत्रों पर अवैध यातायात पारगमन के नियंत्रण की मुख्य जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल और सीमाशुल्क तस्करी रोधी संगठनों पर है । समुद्र पत्तनों पर सीमा शुल्क की मोजूदगी होती है तथा महासागर में यह जिम्मेदारी सीमाशुल्क और तटरक्षकों द्वारा निभाई जाती है ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो समस्त देश में संपूर्ण प्रवर्तन प्रयासों की सुव्यवस्थित बहु-अनुशासनात्मक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए, एक गतिशील उत्प्रेरक एजेंट है ।

स्वापक औषध का अवैध व्यापार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों रूप में धन के अपव्यय का सशक्त संयोजन रहा है । स्वापक औषध तथा आर्थिक आसूचना के व्यवहार के लिए कई प्रवर्तन एजेंसियां है जैसे कि राजस्व आसूचना महानिदेशालय,प्रवर्तन निदेशालय, आयकर जांच महानिदेशालय तथा केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, राजस्व सचिव के साथ पिछले दो वर्षों से स्वापक ओषध मामलों में बिना किसी अन्य मध्यस्थ के कार्य प्रभार ग्रहण करने के पश्चात सभी एजेंसियों से समन्वय आसान और सहज हो गया है । अन्तः सम्बद्ध अपराधों पर अब विभिन्न एजेंसियों द्वारा एक समन्वय तरीके के द्वारा जांच की जाती है । अन्य एजेंसियों अर्थात केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो के साथ सहयोग अब आसान, यथेष्ट तथा तत्काल संभव हो गया है । केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिपोर्ट, सचिव (राजस्व) को सीधे भेजने के कारण सम्बद्ध मामलों पर तथा त्वरित निर्णय लेने में समन्वय प्रस्ताव में नितांत प्रभावकारी उपलब्धि संभव हुई है । राज्य सरकारों के साथ मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा डी0 जी0 पी0 के स्तर तक भी समन्वय संभव हो सका है ।

भारतीय सीमाओं पर गैर कानूनी स्वापक औषध व्यापार की हाल की प्रवृति का विश्लेषण

भारत -पाक सीमा

वर्ष 1994 के दौरान राजस्थान, गुजरात, जम्मू काश्मीर, पंजाब तथा इससे लगी सीमा, दक्षिण पश्चिम एशिया में उत्पादित हेरोइन तथा हशीश की अत्यधिक मात्रा में अवैध व्यापार हुआ है । हेरोइन तथा हशीश के अवैध व्यापार के पंजीकृत मामलों में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 के दौरान क्रमशः 150 तथा 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अकेले हेरोइन जब्ती की रेंज 1 कि0ग्रा0 से 44 कि0ग्रा0 तथा हशीश की रेंज 5 कि0ग्रा0 से 1280 कि0ग्रा0 रही है ।

राजस्थान राज्य के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में हेरोइन की जब्ती 126 प्रतिशत से 132 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ।

गुजरात में कच्छ तथा भुज के तटीय क्षेत्र समुद्र मार्ग से स्वापक औषध के अवैध व्यापार में वृद्धि के साक्षी रहे हैं । वर्ष 1993 की तुलना में 1994 के दौरान हशीश की जब्ती में परिणामी वृद्धि हुई है ।

जम्मू तथा काश्मीर में साम्बा तथा रणबीर सिंह पुरा क्षेत्र वर्ष 1994 के दौरान हेरोइन की तस्करी के लिए फिर से सक्रिय रहे हैं ।

पंजाब में गुरदासपुर तथा अमृतसर क्षेत्र में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में हेरोइन की तस्करी में 320 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

इंडो-म्यांमार सीमाः

अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य ' गोल्डन ट्रिगंल ' की सन्निकटता के कारण स्वापक औषध की तस्करी के लिए संवेदनशील रहे हैं जहां गैरकानूनी पोस्त खेती तथा अफीम उत्पादन में अनवरत वृद्धि रही है । अवैध व्यापार की प्रवृति लगभग वही रही है । भारत-पाक सीमा के पार अवैध व्यापार की तुलना में इस सीमा के पार अवैध व्यापार बहुत कम रहा है । स्थानीय निवासियों की स्वच्छन्द गतिविधि, उबड़-खाबड़ पर्वतीय मैदानों द्वारा सहायता, सघन वन, प्रतिकूल मौसम, गुप्त मार्ग आदि कुछ ऐसे कारक है जो सीमा के पार तस्करी में सहायक होते हैं ।

म्यांमार की परिष्कृत हेरोइन, जिसमें 90 प्रतिशत की शुद्धता होती है, की भारत में तस्करी थोड़ी मात्रा में (एक कि0ग्रा0 से कम) घरेलू मांग पूरी करने के लिए की जाती है । 500 ग्राम की जब्ती के मामलों की संख्या बहुत कम है । अकेले हेरोइन की जब्ती की रेंज 1 ग्राम से 500 ग्राम है । परस्पर परामर्श तथा समन्वयकारी कार्यवाही अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की सुग्राहीता इस सीमा पर प्रारंभिक रसायनों की जांच गतिविधि करने में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करती है । पिछले दो वर्षों के दौरान म्यांमार के भारतीय प्रदेश में एसेटिक एनहाइड्रेड की जब्ती का केवल एक मामला प्रकाश में आया है ।

भारत श्रीलंका क्षेत्र

जब्ती का परिणाम तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा निष्प्रभावी किए गए

गिरोह का विश्लेषण यह दर्शाता है कि हेरोइन,हशीश तथा मैथाक्वालोन की तस्करी भारत से श्रीलंका में वायु तथा समुद्री दोनों मार्गो से होती है । श्रीलंका अवैध व्यापारियों द्वारा स्वापक औषधों की तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन सूत्र के पक्ष में रहा है । छोटे प्रेषण के लिए माल श्रीलंका को वायु द्वारा बड़े प्रेषण के लिए माल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से श्रीलंका को समुद्र द्वारा लाया जाता है । स्वापक औषध, दालों तथा प्याजों आदि ले जाने वाले पोतों में छिपा कर रखा जाता है । श्रीलंका के जरिये ईसराइल में मई 1994 में हशीश के 2500 कि0ग्रा0 की बड़ी जब्ती का यह अवैध व्यापार एक उदाहरण है जिसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई आसूचना के आधार पर निष्प्रभावी किया गया ।

हाल ही में स्वापक औषध अवैध व्यापारी के द्वारा मैथाक्वालान की बड़ी मात्रा श्रीलंका में भेजने की तेज क्रिया-कलापों की सरगर्मी रही है । मैनड्रेक्स गोलियों के 4.5 एम0टी की हाल की जब्ती एक अस्तव्यस्तता की प्रवति को उदघटित करता है । मैथाक्वालान का एक बड़ा प्रेषण गुजरात से आगे श्रीलंका को निर्यात किया जाता है ।

इनके अलावा अफीम की भी तस्करी श्रीलंका को की जाती है । श्रीलंका को स्वापक औषधों की तस्करी का मुख्य निकास सूत्र रामनाड तथा तूतीकोरीन के बीच एवं मद्रास,त्रिची तथा त्रिवेन्द्रम आदि तीन विमानपत्तन है ।

वर्ष 1994 के दौरान स्वापक औषध
कानून प्रवर्तन उपलब्धि

भारतीय स्वापक औषध अवैध व्यापार परिदृश्य वर्ष 1994 में शुरू से अन्त तक नितांत संवेदनशील रहा है । सभी स्वापक औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रभावपूर्ण प्रवर्तन क्रिया कलापों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में तथा साथ-साथ विदेशों में भी गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप में एक उत्कृष्ट निष्पादन रहा है । यूरोप के बालकान मार्ग के बावजूद इंडो-पाक सीमा पर होने वाली हेरोइन तथा हशीश की बड़ी मात्रा की जब्ती यह दर्शाती है कि दक्षिण पश्चिम एशियन सिंडिकेट के लिए भारत का पारगमन देश के रूप में कितना महत्व है ।

बेहतर सहयोग तथा प्रवर्तन प्रयासों के साथ गोल्डन ट्रांयगल में उत्पन्न हेरोइन का 1994 के दौरान परिमाण प्रवाह का कोई संकेत नहीं मिला है ।

नियंत्रण उपायों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के क्रियाकलापों में वृद्धि के फलस्वरूप हर बार मैथाक्वालॉन तथा एसेटिक एनहाइड्राइड की जब्ती में बढ़ोतरी संभव हो सकी है । हमारे सख्त नियंत्रण उपायों के कारण अफगानिस्तान को एसेटिक एनहाइड्राइड की कमी का सामना करना पडा है ।

प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अवैध व्यापारियों के विरूद्ध की गई संयुक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप काफी बड़ी मात्रा में औषधों की जब्ती तथा अवैध व्यापारियों की पकड़ संभव हो सकी है । वर्ष के दौरान 136 विदेशी लोगों को शामिल करते हुए कुल 15,452 लोगों को गिरफ्तार किया गया । स्वापक औषधों की गैर कानूनी खेती द्वारा उगाए गए औषध पौधों तथा गैरकानूनी रूप से निर्माण की गई सुविधाओं का पता लगाने तथा उन्हें नष्ट करने का लक्ष्य मुख्य रूप से रहा ।वर्ष के दौरान देश में मैथाक्वालान के निर्माण की स्थापित कुल 7 गुप्त निर्माण युनिटों के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा हेरोइन बनाने की 3 मेक शिफ्ट(किचन) को विखंडित किया गया । 17 मामलों में अवैध व्यापारियों की 8.51 करोड रूपए की संपति को अवरूद्ध किया गया तथा एक मामले में 10.24 करोड रूपए की संपति को जब्त कर लिया गया है ।

संलग्न तालिका वर्ष 1991-94 के दौरान भारत में मुख्य स्वापक औषधों की प्रवृति को दर्शाती है ।

वर्ष 1991-1994 के दौरान मुख्य स्वापक औषधों, मनःप्रभावी पदार्थों तथा प्रारंभिक रसायनों के अवैध व्यापार से जब्ती की प्रवृति [जब्ती कि0ग्रा0 में तथा मामलें संख्याओं में]

स्वापक औषध		1991	1992	1993	1994	1993-94 % परिवर्तन	1993-94 प्रति मामलें में जब्त की गई मात्रा में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
अफीम	जब्ती	2145	1918	3011	2256	(-) -25.1	(+) 7.8
	मामलें	566	1286	1679	1171	(-) 30.2	
मारफीन	जब्ती	6	35	36+110 एम्पयू0	1+44500 एम्पयू0	(+) 64.5	(+) 2.9
	मामलें	21	158	105	145	(+) 38	
हेरोइन	जब्ती	622	1153	1088	1011	(-) 7.1	(-) 6.2
	मामलें	1158	2779	3383	3331	(-) 1.5	
गांजा	जब्ती	52633	64341	98867	187896	(+) 90	(+) 45.1
	मामलें	3140	5839	5214	6827	(+) 30.9	
हशीश	जब्ती	4413	6621	8238	6992	(-) 15.1	(-) 10.3
	मामलें	335	2561	2827	2672	(-) 5.5	

1	2	3	4	5	6	7	8
मैथाक्वालोन							
	जब्ती	4415	7475	15004	45319	(+) 202	(+) 87.2
	मामलें	78	167	283	457	(+) 61.5	
एसेटिक एनहाइड्राइड							
	जब्ती (लि0)	–	–	19758	47740	(+) 141.6	(+) 32.8
	मामलें	–	–	22	40	(+) 81.8	
मामलों की कुल संख्या		5298	12751	13518	14657		
पिछले वर्ष के बाद प्रतिशत परिवर्तन			(+) 140.7	(+) 6.0	(+) 8.4		
उपर्युक्त मामलों में पकड़े गए कुल व्यक्ति		5300	12850	13723	15452		
पिछले वर्ष के बाद प्रतिशत परिवर्तन			(+) 142.5	(+) 6.8	(+) 12.6		

भांग हर्बल/गांजा

गांजा एक पारंपरिक स्वापक औषध है जिसका भारत में दुरूपयोग किया जाता है । वर्ष 1994 के दौरान इसकी जब्ती 188 टन तक पहुंच गई इस संबंध में पिछले वर्ष 1993 के दौरान दर्ज की गई संख्या में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई हे । नेपाल के गांजे की तस्करी जारी है । जब्ती मुख्यतः दक्षिण तथा उत्तर पूर्व राज्यों में प्रभावित हुई है । नीचे दिया गया ग्राफ भांग की जब्ती की प्रवृति को दर्शाता है:

वर्ष	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
मात्रा (कि0ग्रा0)	45994	54463	39090	52633	64341	98867	187896
मामले	592	3612	1782	3140	5839	5214	6827

आन्ध्र प्रदेश,केरल तथा तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों के पहाड़ो मैदानों की भूमि के 858 एकड़ में फैली भांग की गैर कानूनी खेती की संभावित पैदावार का पता लगाया गया तथा उन्हें नष्ट कर दिया गया ।

अगले पृष्ठ पर दिया गया ग्राफ नष्ट की गई भांग की पौध की प्रवृति को दर्शाता है ।

भांग की पौध को नष्ट किया जाना

वर्ष	1990	1991	1992	1993	1994
क्षेत्र एकड़ में	1907	1013	1219	2587	858
संभावित पैदावार (किO ग्राO में)	1896034	1497284	1230209	3270661	1073334

हशीश

वर्ष 1994 के दौरान 2672 मामलों में 6992 कि0ग्रा0 हशीश जब्त की गई । दक्षिण पश्चिम एशिया से उत्पादित हशीश में पिछले वर्ष 1993 की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । नीचे दर्शाया गया ग्राफ हशीश की जब्ती की प्रवृत्ति को दर्शाता है ।

वर्ष	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
मात्रा (कि0ग्रा0)	4368	10312	18909	14796	17234	8179	6388	4413	6621	8238	6992
मामले	203	192	374	301	338	687	753	335	2516	2827	2672

वर्ष 1993 के बाद 1994 में जब्त की गई मात्रा में गिरावट का कारण अप्रैल,जुलाई से सितंबर माह के दौरान राजस्थान तथा गुजरात क्षेत्रों में हशीश की बडी मात्रा में प्राप्ति विभिन्न एजेंसियों के प्रभावपूर्ण प्रवर्तन प्रयास के कारण प्रभावित हुआ है । अक्तूबर तक हशीश की कोई बड़ी जब्ती की रिपोर्ट नहीं की गई ।

जुलाई मास में सीमा सुरक्षा बल, कोटेशवार,गुजरात ने नदी तल में छिपाई गई 256 कि0ग्रा0 हशीश जब्त की तथा पांच पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया ।

सितंबर माह में दो महत्वपूर्ण मामले प्रकाश में आए । पहले मामले में दिनांक 12.9.94 को गुजरात पुलिस ने बाड़मेर राज्य में 1201 कि0ग्रा0 हशीश जब्त की जो पिछले मामलों में गिरफ्तार किया गया एक अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं पर आधारित था । दूसरे मामले में 27.9.94 को जैसलमेर में राजस्थान पुलिस ने एस0 डब्लयू0 के आधार पर 78.600 कि0ग्रा0 हशीश जब्त की तथा खुंखार तस्कर शेरीया को गिरफ्तार किया गया जिसकी काफी समय से तलाश थी ।

दिल्ली के इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को विदेशी नागरिकों के लिए एक प्रत्याशित पारगमन सूत्र के रूप में नोट किया गया है जिन्हें यूरोप के देशों में हशीश के अवैध व्यापार किये जाने में लिप्त पाया जाता है । हशीश का उत्पादन नेपाल तथा हिमाचल प्रदेश से होता है ।

अफीम

अवैध पैदावार वाले क्षेत्र के आसपास सख्त उपायों की आमुखता के कारण वर्ष 1994 के दौरान दर्ज की गई अफीम की जब्ती में गिरावट आई । वर्ष के दौरान 1171 मामलों में कुल 2256 कि0ग्रा0 अफीम जब्त की गई । पिछले वर्ष के बाद वर्ष 1994 में प्रत्येक मामले में जब्त की गई मात्रा में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्वापक औषधों के निर्माण,व्यापार,अवैध व्यापार पर जिला पुलिस चित्तौड़गढ द्वारा एक विस्तृत कार्यवाही की गई । इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में अफीम के साथ अन्य स्वापक औषधों की 735 कि0ग्रा0 की मात्रा जब्त की गई । पंजाब में भी अफीम तथा पोस्त भूसी की बडी मात्रा जब्त की गई । नीचे दर्शाया गया ग्राफ अफीम की जब्ती की प्रवृति को दर्शाता है ।

वर्ष	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
मात्रा (कि0ग्रा0)	3304	4855	2114	2145	1918	3011	2256
मामले	512	1658	506	566	1286	1679	1171

हेरोइन

वर्ष 1994 के दौरान 31 मामलों में 1011 कि0ग्रा0 हेरोइन जब्त की गई । इंडो-पाक सीमा पर जब्ती महत्वपूर्ण हुई । हेरोइन के दक्षिण पश्चिम एशिया के स्रोत में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 के दौरान 17 प्रतिशंत की वृद्धि हुई । सीमा का संपूर्ण 3310 कि0मी0 का क्षेत्र वर्ष 1993 में धीमी कार्यवाही के बाद वर्ष 1994 में अति संवेदनशील बन गया । काफी जब्तियां इंडो पाक सीमा के खंड तथा राजस्थान के आस पास उत्पन्न हुई लेकिन कुछ मुख्य जब्तियां महाराष्ट्र,दिल्ली,कलकत्ता,तथा तमिलनाडु में भी हुई । सभी जब्त किए गए माल पर उनके मूल की मार्किंग स्पष्ट है ।

दिनांक 7.1.94 को एक विशेष सूचना के आधार पर स्वापक सेल,बम्बई पुलिस ने जाल फैलाकर दक्षिण पश्चिम एशिया के स्रोत से एक आटो रिक्शा में 50.590 कि0ग्रा0 हेरोइन जब्त की । जब्त किए गए स्वापक औषध को मारीशस को भेजा जाना था । इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में वर्ष के दौरान 250 ग्राम से अधिक की कई जब्तियां की गई । वर्ष के दौरान राजस्थान में कई मेक शिफ्ट(किचन) प्रयोगशालाओं का पता लगाया गया तथा ऐसी प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया गया । नीचे दिखाया गया ग्राफ हेरोइन की जब्ती की प्रवृति को दर्शाता है ।

वर्ष	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
मात्रा (कि0ग्रा0 में)	203	761	2621	2747	2819	2714	2193	622	1153	1088	1011
मामले	92	131	405	351	390	1248	764	1158	2779	3383	3331

मारफीन

जब्त की गई मारफीन की मात्रा में वर्ष 1993 में 36 कि0ग्रा0 से वर्ष 1994 में 51 कि0ग्रा0 की वृद्धि हुई । वर्ष 1994 के दौरान मारफीन की काफी मात्रा बिहार,उ0प्र0 तथा पंजाब राज्य से जब्त की गई ।

मैथाक्वालोन

मन:प्रभावी पदार्थों में मुख्य रूप से मैथाक्वालोन की तस्करी भारत से बाहर की जाती है । वर्ष के दौरान कानून प्रवर्तन की कार्यवाही में वृद्धि होने के कारण 45.3 टन जब्ती की गई जो पिछले 10 वर्षों का एक रिकार्ड है । पिछले वर्ष से मैथाक्वालोन की जब्ती में वर्ष 1994 में 202 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

केन्या,मोजाम्बिकु,तनजानिया तथा जाम्बिया को समुद्र तथा वायु के द्वारा मैथाक्वालोन के पारगमन का बम्बई प्रमुख केन्द्र बना हुआ है तथा कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में भी जब्ती की अत्यधिक मात्रा है ।

वर्ष के दौरान महाराष्ट्र,गुजरात,राजस्थान,तमिलनाडु तथा मध्यप्रदेश में स्थित मैथाक्वालोन बनाने की 7 गुप्त यूनिटों के प्रचालन को नष्ट किया गया । इन सात युनिटों में से तीन युनिटें मैथाक्वालोन तथा हेरोइन का निर्माण करती थी ।

नीचे दिखाया गया ग्राफ मैथाक्वालोन की जब्ती की प्रवृति को दर्शाता है ।

वर्ष	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
मात्रा(कि0ग्रा0)	1669	745	1485	1500	1293	887	2141	4415	7475	15004	45319
मामले	95	42	19	59	32	75	60	78	167	283	457

एसेटिक एनहाइड्राइड

एसेटिक एनहाइड्राइड हेरोइन बनाने के काम में आने वाला महत्वपूर्ण प्रारंभिक रसायन है । भारत सरकार द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अंतर्गत एन0डी0पी0एस0 (नियंत्रित पदार्थ) आदेश 1993 केक नाम के एक आदेश के अधीन इस रसायन को नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है । यह आदेश 15.4 1993 से प्रभाव में आया ।

प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1994 के दौरान 47,740 लीटर एसेटिक एनहाइड्राइड जब्त किया गया जो कि 1993 में जब्त की गई मात्रा से 142 प्रतिशत अधिक है । आज की स्थिति तक दिनांक 21.12.94 में अकेले लगभग 19000 लिटर की एक विशाल जब्ती की गई ।

एक मामले में 10,000 लीटर एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ एक रोड़ टेंकर को अलीगढ़ के निकट हाइजैक कर लिया गया जो कि अवैध व्यापारियों के दुःसाहस को प्रतिबिम्बित करता है ।एसेटिक एनहाइड्राइड को नली के जरिए टेंकर से निकाला गया तथा ड्राइवर,क्लीनर सहित तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई तथा उनकी लाश को खाली टेंकर में फेक दिया गया । तथापि, पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करने पर एसेटिक एनहाइड्राइड की समग्र मात्रा बरामद कर ली गई तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया ।

नीचे दिखाया गया ग्राफ एसेटिक एनहाइड्राइड की पिछले वर्ष की तुलना में जब्ती की वृद्धि को दर्शाता है ।

वर्ष	1993	1994
मात्रा (लि0)	19758	47740
मामले	22	40

अन्य उपलब्धियां

वर्ष 1994 के दौरान विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 25 मीट्रिक टन स्वापक औषध तथ मन:प्रभावी पदार्थो को नष्ट किया गया ।

सरकार ने दिनांक 24.10.94 से एसेटालाक्टेनीलिक एसिड को नियंत्रित पदार्थ घोषित किया है। (परिशिष्ट 6)

वर्ष 1994 के दौरान देश में हुई स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थों की महत्वपूर्ण जब्तियों की एक सूची अनुलग्नक । में हैं ।

वर्ष के दौरान स्वापक औषधों की जब्ती में असाधारण वृद्धि तथा अवैध व्यापारियों के अपराधों से संबंधित घटनाएं एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि प्रवर्तन एजेंसियों की तरफ से यह मानना होगा कि संतुष्ट होकर बैठ जाने के लिए कोई स्थान नहीं है ।

अनुलग्नक-1

वर्ष 1994 के दौरान महत्वपूर्ण जब्तियों की सूची

जनवरी

गांजा	**4360 कि0ग्रा0**	**नागालैंड**

दिनांक 4.1.94 को नागालैंड पुलिस ने एक विशेष सूचना के आधार पर एक ट्रक को रोका, जिसका रजिस्ट्रेशन सं0 ए0एस0वी0-2658 था,तथा उसमें से 4360 कि0ग्रा0 गांजा बरामद किया । इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

हेरोइन	**50.590 कि0ग्रा0**	**बम्बई**

7 जनवरी को एक विशेष सूचना पर कार्यवाही करते हुए स्वापक कक्ष,बम्बई पुलिस के अधिकारियों ने इन्वीटेशन होटल,लिंक रोड,भानदूप,बम्बई के पास जाल बिछा कर एक आटो रिक्शा से 50.590 कि0ग्रा0 हेरोइन जब्त कर ली । स्वापक औषध का संदिग्ध स्रोत एस0डब्लयू0ए0 पर है । स्वापक औषध को प्लास्टिक थैले में पैक किया हुआ था तथा उसे एक सफेद कपड़े से लपेट रखा था जिस पर "ए-505","7777"अफताब फैक्टरी तथा सील नं0 ए0एफ0-1234 अंकित था । इस सिलसिले में सात भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया । इस स्वापक औषध को मारीशस में निर्यात किए जाने की रिपोर्ट मिली है ।

मैथाक्वालोन	**4820.400 कि0ग्रा0** **(0.600 कि0ग्रा0 हेरोइन के साथ)**	**बम्बई**

जनवरी 11, 13 तथा 14 को एक विशेष सूचना के आधार पर स्वापक कक्ष,बम्बई पुलिस ने एक मोटर कार रोकर 4820 कि0 ग्रा0 मैनड्रेक्स गोलियां तथा साथ में हेरोइन के कच्चा माल के 20 डिब्बे जब्त किए । इस संबंध में 5 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया ।

मैथाक्वालोन	**1833.240 कि0ग्रा0**	**गुजरात**

जनवरी 12 को एक विशेष सूचना पर कार्यवाही करते हुए,राजस्व आसूचना महानिदेशालय,अहमदाबाद क्षेत्रीय एकक के अधिकारियों ने एक एम्बेडसकर कार रोककर 167 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स गोलियां जब्त की । इस पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए गोदान की तलाशी लेने पर कुछ पांसे,छेदक,पैकिंग सामग्री तथा सील करने की मशीन के साथ-साथ 1545 कि0ग्रा0 गालियां तथा 121 कि0ग्रा0 मैथाक्वालोन जब्त किया गया ।

हशीश/चरस	**80 कि0ग्रा0**	**दिल्ली**

27 जनवरी को एक सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अजमेरी गेट सैन्ट्रल दिल्ली के नजदीक एक एम्बेडसकर कार रोककर 80 कि0ग्रा0 हशीश/चरस जब्त की जिसे कार सीट की स्प्रिंग तथा स्पंज के बीच खाली जगह में छिपा रखा था । उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीन भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है । इस स्वापक औषध का संदिग्ध स्रोत नेपाल है ।

फरवरी

कोकीन 1.000 कि0ग्रा0 मंगलौर

9 फरवरी को विशेष सूचना के आधार पर सीमा शुल्क (प्रवर्तन) के अधिकारियों ने होटल पंचमहल,कोदीलबेल,मंगलौर में तलाशी करने पर विदेश में उत्पादित 1.000 कि0ग्रा0 कोकीन बरामद की । इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।

हेरोइन 2.050 कि0ग्रा0 बम्बई

19 फरवरी को एक असाधारण मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,बम्बई क्षेत्रीय एकक के अधिकारियों ने एक तनजानिया के नागरिक को अस्पताल में भरती कराया क्योंकि उसके द्वारा ली गई 600 ग्राम हेरोइन कैप्सूल फोर्म का निकास नहीं हो सका । जिसे चीड़-फाड़ के द्वारा निकाला जाना था । अप्रवास तथा सीमा शुल्क द्वारा निकासी के पश्चात इस तनजानिया नागरिक को इथोपियन एयर लाइन्स द्वारा जहाज से जाने वाला था । उसी दिन आसूचना के आधार पर बी0 जैड0 यू0 के अधिकारियों ने एक घाना नागरिक से 1 कि0 400 कि0ग्रा भूरे रंग की हेरोइन जब्त की । वह बम्बई-आदीस अबाबा-बोमाला के लिए इथोपियन एयर लाइन से जाने की तैयारी कर रहा था । हेरोइन को दो नेस्ले सेरेलांक इन्सटेंट मिल्क रिफिल पैंक,एक कम्पलॉन चाकलेट कारटोन तथा एक जॉनसन बेबी पाउडर में छिपाकर पोलीथिन पेकिट में रखा गया था ।

मैथाक्वालोन 413.750 कि0ग्रा0 मैसूर

बम्बई सीमा शुल्क से प्राप्त एक विशेष सूचना के आधार पर डी0आर0आई0 बंगलौर के अधिकारियों ने दिनांक 25.2.94 को मैसूर परिसर में स्थित एक फार्म पर छापा मारा तथा 201 कि0ग्रा0 मैथाक्वालॉन पाऊडर, 212.750 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स गोलियां तथा 6 कि0ग्रा0 एसेटिक एनहाइड्राइड तथा मैथाक्वालोन एवं मैनड्रैक्स गोलियां बनाने की कच्ची सामग्री जब्त की । अधिकारियों ने पैंकिग में काम आने वाली मशीनें तथा उपकरणों को भी जब्त कर लिया । छापे के दौरान अधिकारियों ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया ।

मार्च

मारफीन 29.5 कि0ग्रा0 पटना

6 मार्च को सीमा शुल्क समाहर्ता पी0 आई0 एन0 बी0 पटना के अंतर्गत आने वाला कटिहार सीमा शुल्क (प्रवर्तन) के अधिकारियों ने 21 नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के एक डिब्बे से एक लावारिस स्टील ट्रंक को पाया । इसमें सफेद पीले पाऊडर के 3 पोलीथीन पैकिट थे । जब्त किया गया पाऊडर मारफीन होने का सकारात्मक संकेत दे रहा था । फलस्वरूप जब्त किया गया संपूर्ण स्वापक औषध 29.5 कि0ग्रा0 था ।

हेरोइन 4.330 कि0ग्रा0 बम्बई

एकत्र की गई सूचना के आधार पर दिनांक 8-9 मार्च को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,बम्बई के अधिकारियों ने 9 अफ्रीकी नागरिकों को उस समय रोका जब वे इथोपियन एयर लाइन्स से आदीस अबाबा को रवाना होने को थे । उन पर उनके देह गुहिका में हेरोइन ले जाए जाने का संदेह था । चिकित्सा जांच करने पर उन्हें बम्बई के जे0 जे0 अस्पताल में भरती कराया गया तथा उनके शरीर से 4.330 कि0ग्रा0 वजन के 471 कैप्सूल बरामद किए । यह भारत में अब तक के सिंगल आपरेशन में शरीर द्वारा ले जाए जाने की सबसे बड़ी संख्या है ।

गांजा 1868.000 कि0ग्रा0 डीं डी गुल (तमिलनाडु)

20 मार्च को अमयानाइकन्नूर में वाहनों की जांच करते समय तमिलनाडु पुलिस ने एक लॉरी से गांजे के 1868 कि0ग्रा0 के 42 गन्नी बैग जब्त किए । गांजे को सूखी लाल मिर्च में छिपा रखा था । इस संबंध में 7 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है । स्वापक औषध का संदिग्ध स्रोत वारंगल,आन्ध्रप्रदेश का कहा जाता है ।

हेरोइन 27.000 कि0ग्रा0 दिल्ली

30 मार्च को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली तथा सीमा शुल्क के अधिकारियों ने मिलकर एक नाइजेरियन नागरिक से आई जी आई विमानपत्तन नई दिल्ली से 27 कि0ग्रा0 हेरोइन की जब्ती की जिसे लागोस वाया पेरिस तथा लंदन को भेजा जाना था । इस स्वापक औषध को वनस्पति तेल के डिब्बों में छिपा रखा था ।

अप्रैल

गांजा 1100 कि0ग्रा0 खाम्माम (आ0प्र0)

1 अप्रैल को आसूचना के आधार पर आन्ध्रप्रदेश पुलिस ने खाम्यामा आ0 प्र0 के एक अभियुक्त के घर पर छापा मारा तथा 1100 कि0ग्रा0 वजन के गांजे के 50 गन्नी बैगों को जब्त किया । इस मामले में आंध्रप्रदेश के निवासी आठ भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया ।

अफीम 30 कि0ग्रा0 जोधपुर

8 अप्रैल को एक विशेष सूचना के आधार पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के जोधपुर क्षेत्रीय एकक ने एक स्थान पर छापा मारकर 30.000 कि0ग्रा0 अफीम जब्त की । इस मामले में भारतीय मूल के दो लोगों पर संदेह है ।

हशीश 81.000 कि0ग्रा0 जैसलमेर

13 अप्रैल को एक विशेष सूचना के आधार पर राजस्थान पुलिस ने 81.000 कि0ग्रा0 चरस जब्त की । इस स्वापक औषध को दो गन्नी बैगों में ऊंट द्वारा लाया जा रहा था । पुलिस ने एक जाल बिछाया । इस संबंध में कोई पकड़ नहीं हो सकी क्योंकि सहापराधी खतरा भांप कर भाग गए । स्वापक औषध को जोधपुर/गुजरात द्वारा बंबई में भेजा जाना था ।

गांजा 2000 कि0ग्रा0 कोडागु (कर्नाटक)

26 अप्रैल को कोडागू जिले की कर्नाटक पुलिस ने एक छापा मारा तथा 2000 कि0ग्रा0 गांजा जब्त किया । छापे के दौरान देश में बनाए गए बम्ब जैसी कोई वस्तु तथा 4 विस्फोटक बैंग,बिजली के तार से जुड़े 10 डीटोनेटर फिटिड जब्त किए गए ।

मई

हेरोइन 11.000 कि0ग्रा0 बम्बई

4 मई को एक विशेष सूचना पर कार्यवाही करते हुए स्वापक कक्ष,बम्बई पुलिस ने 11 कि0ग्रा0 हेरोइन

की जब्ती की । स्वापक औषध को मंदसौर (म0प्र0) से लाया जा रहा था तथा इसे बम्बई ले जाया रहा था । इस संबंध में एक व्यक्ति पकड़ा गया ।

मैथाक्वालोन 5225.500 कि0ग्रा0 जामनगर

11 मई को राजस्व आसूचना निदेशालय,अहमदाबाद ने 7817 प्लास्टिक बैग में पैक हुई 5.225 एम0टी0 मैन्ड्रैक्स की गोलियां जब्त की जो 44 स्टील ड्रमों में रखा गया था तथा जिसे मंगलौर/बंगलौर ले जाने के लिए ले जाया जा रहा था ।

हशीश/चरस 50.620 कि0ग्रा0 जैसलमेर

19 मई को एक विशेष सूचना के आधार पर जैसलमेर में राजस्थान पुलिस ने 50.62 कि0ग्रा0 के 50 पैकिट चरस जब्त की । जब्त की गई चरस एस0डब्लयू0ए0 की पाई गई थी तथा जिस पर उर्दू में सुनहरे अक्षरों में टी0ए0ज0 चिन्हित किया गया था ।

चरस 79.225 कि0ग्रा0 जैसलमेर

20 मई को जिला जैसलमेर,राजस्थान पुलिस ने एक विशेष सूचना के आधार पर एक पोलीथिन बैग में 79.225 कि0ग्रा0 चरस, जिस पर 711 तथा 712 सुनहरे अक्षरों में चिन्हित किया गया था ,जब्त की जिसे एक ऊंट पर दो व्यक्तियों द्वारा लाया जा रहा था । जब्त किए गए स्वापक औषध एस0डब्लयू0ए0 के होने का संदेह है । इसे बम्बई/अहमदाबाद भेजा जाना था ।

जून

चरस 100.000 कि0ग्रा0 जैसलमेर

8 जून को एक सूचना के आधार पर जैसलमेर में राजस्थान पुलिस ने दो लोगों से 100 कि0ग्रा0 चरस बरामद की । बरामद किए गए स्वापक औषध एस0 डब्लयू0ए0 होने का संदेह था । इसे बम्बई/अहमदाबाद भेजना था ।

हेरोइन 6.854 कि0ग्रा0 दिल्ली

13 जून को दिल्ली की एयर कस्टम विंग ने आई जी आई विमानपत्तन,नई दिलली के प्रस्थान हाल से एक पुर्तगाली नागरिक अब्दुल बोकड़े से 6.854 कि0ग्रा0 हेरोइन जब्त की । जब्त किए गए स्वापक औषधों को सूटकेस के गुप्त खानों में छिपा कर पैक्स द्वारा ले जाया जा रहा था । स्वापक औषध का गन्तवय स्थान मैड्रिड (स्पेन) माना गया था । पैक्स को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

चरस 30.000 कि0ग्रा0 नई दिल्ली

17 जून को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, के दिल्ली क्षेत्रीय एकक ने दो विदेशी नागरिकों के सामान की तालाशी पर 30 कि0ग्रा0 हशीश जब्त की । स्वापक औषध का संदिग्ध गन्तवय स्थान एमस्टेरडेम था । दोनों व्यक्तियों को

गिरफ्तार कर लिया गया था । अनुवर्ती कार्यवाही करने के फलस्वरूप स्वापक औषध का देशी आपूर्ति कर्ता भी पकड़ा गया ।

चरस 42.000कि0ग्रा0 **जैसलमेर**

25 जून को एक विशेष सूचना पर कार्यवाही करने पर जैसलमेर/राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने दो लोगों को बाड़ को काटकर भारत में प्रवेश करने की चेष्टा करते हुए देख लिया । चुनौती देने पर उन्होंने आग लगा दी तथा अन्धेरे तथा तंरगित का लाभ उठा कर आखिर में एक ऊंट पर सवार होकर वापिस भाग गए । क्षेत्र की अच्छी तरह जांच करने पर क्षेत्र में हशीश के 42 कि0ग्रा0 के 21 पैकिट मिले । स्वापक औषध का संदिग्ध स्रोत एस0 डब्लयू0 ए0 था ।

जुलाई

अफीम 20.000 कि0ग्रा0 **मदुराई**

3 जुलाई को मदुराई पुलिस द्वारा अफीम की 3 जब्तियां की गई । कुल जब्ती 20 कि0ग्रा0 की था । इसमें प्रत्येक 5 कि0ग्रा0 वजन के चार पेकिट थे तथा चार लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

हशीश/चरस 20.000कि0ग्रा0 **जोधपुर**

8 जुलाई को विशेष सूचना के आधार पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के जोधपुर क्षेत्रीय एकक ने एक निवासस्थान की तलाशी ली तथा 4 गन्नी थैलों में जिस पर स्कोरपिन चिन्हित किया हुआ है जंगल की झाडियों के नीचे छुपा कर रखी गई । 200 कि0ग्रा0 हशीश बरामद की गई । इस स्वापक औषध का स्रोत एस0डब्लयू0ए0 था ।

हेरोइन 25.000 कि0ग्रा0 **नाछना**

12 जुलाई को बी0 एस0 एफ0 द्वारा एक सूचना पर कार्यवाही में पुलिस,सीमा शुल्क तथा बी0 एस0 एफ द्वारा संयुक्त प्रत्याख्यान करते हुए एस0 डब्लयू0 ए में उत्पादित 25 कि0ग्रा0 हेरोइन की जब्ती की । पैकिंग में अंग्रेजी तथा उर्दू में 505 चिन्हित किया गया था । इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।

चरस 256.000 कि0ग्रा0 **कोटेश्वर**

20 जुलाई को बी0एस0एफ0 जल विंग पैट्रोलिंग पार्टी ने 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया तथा मत्स्य नाव में चरस के 256 कि0ग्रा0 वजन के 141 पैकिटों को जब्त किया ।

अगस्त

चरस 79.180 कि0ग्रा0 **जैसलमेर**

7 अगस्त को राजस्थान पुलिस ने एक विशेष सूचना पर कार्यवाही करते हुए ऊंट की पीठ से 78.180 कि0ग्रा0 वजन के चरस के 2 प्लास्टिक बोरे जब्त किए ।

चरस 125.000 कि0ग्रा0 **रक्साउल**

21 अगस्त को एक विशेष सूचना के आधार पर रक्साऊल के सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक कार से 125 कि0ग्रा0 चरस बरामद की । निषिद्ध माल को छिपाने के लिए पैट्रोल टैंक के ऊपर विशेष गुहिका बनाई गई थी । जब्त स्वापक ओषध नेपाल ले लाया जा रहा था तथा कानपुर ले जाया जा रहा था । इस संबंध में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ।

हेरोइन 12.000 कि0ग्रा0 **जम्मू गुरूदासपुर रोड**

दिनांक 31.8.94 को एक विशेष सूचना के आधार पर सीमा शुल्क तथा सीमा सुरक्षा बल ने एक संयुक्त प्रचालन में जम्मू गुरूदासपुर रोड पर सांबा क्षेत्र में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 12 कि0ग्रा0 हेरोइन जब्त की । इस पैकिट पर के0एस0एन0यू0एन0आई0आर0ए0जैड0ए0 का चिन्ह अंकित था ।

सितंबर

हेरोइन 16.3 कि0ग्रा0 **चित्तौडगढ**

9 सितंबर को चित्तौडगढ पुलिस,राजस्थान ने मध्यप्रदेश सीमा के नेहना गांव में एक हेरोइन की फैक्टरी को नष्ट किया । तथा 16.3 कि0ग्रा0 हेरोइन,1.8 कि0ग्रा0 अफीम,16.8 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स तथा साथ में 18.5 कि0ग्रा0 सोडियम तथा कुछ ओजारों को जब्त किया । तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

हशीश 1201.000 कि0ग्रा0 **बाड़मेर**

दिनांक 12.9.94 को गुजरात पुलिस ने आतंकवाद विरोधी दस्ते ने किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 1201 कि0ग्रा0 चरस बरामद की ।

हेरोइन 41.710 कि0ग्रा0 **जैसलमेर**

दिनांक 14.9.94 को एक सूचना के आधार पर रामगढ़ पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल,जैसलमेर ने ऊंट की पीठ पर कुछ घुसपैठियों का उस वक्त पीछा किया जब वे पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर रहे थे । काम्बु का तोबा के निकट उक्त ऊंट की पीठ की गद्दी के निशान से हेरोइन के 40 पैकिट बरामद किए ।

हेरोइन 23.100 कि0ग्रा0 **बम्बई**

24.9.94 को स्वापक कक्ष,बम्बई पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 423.100 कि0ग्रा0 हेरोइन बरामद की ।

हशीश 78.600 कि0ग्रा0 **जैसलमेर**

दिनांक 27.9.94 को एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर जैसलमेर पुलिस ने एक खूंखार तस्कर शैरा को उस समय गिरफ्तार किया गयाजब वह पाकिस्तान से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था ।उसके कब्जे से एस-डब्लयू ए द्वारा उत्पादित 78.600 कि0ग्रा0 हशीश जब्त की । पिछले वर्ष डी0आर0आई0 द्वारा जब्त की गई 60 कि0ग्रा0 हेरोइन के एक अन्य मामले में इस अभियुक्त की लम्बे समय से तलाश थी ।

चरस **120.000 कि0ग्रा0** **अहमदाबाद**

दिनांक 27 सितंबर को अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने एकत्र की गई आसूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 8 असलाली,अहमदाबाद शहर में एक ट्रक सं0 जे0के0-01/7392 की छानबीन की तथा ट्रक से 120 कि0ग्रा0 चरस जब्त की । इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया । चरस का स्रोत जम्मू तथा काश्मीर मे था ।

अफीम **56.500 कि0ग्रा0** **मन्दसौर**

27 सितंबर को एकत्र की गई आसूचना के आधार पर केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो,नीमच के अधिकारियों ने गांव गाडोदा,जिला मन्दसौर में एक व्यक्ति के भवन की तलाशी की तथा उसके भवन से 56.500 कि0ग्रा0 अफीम बरामद की । इस मामले में एक दखलकार को गिरफ्तार किया गया ।

अक्तूबर

चरस **79.300 कि0ग्रा0** **दिल्ली**

दिनांक 1.10.94 को पहले मिली सूचना के आधार पर दिल्ली सीमा शुल्क के अधिकारियों ने नेशनल स्टेडियम सिनेमा के पास रजिस्ट्रेशन नं0 डी0 एच0 ए0- 8262 की एक जीप रोककर 79.300 कि0ग्रा0 चरस बरामद की जिसे जीप में विशेष रूप से बनाए गए तीन विभिन्न प्रकार के कोटरों में छिपा रखा था । इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

अफीम **24.900 कि0ग्रा0** **मन्दसौर**

7.10.94 को पहले मिली सूचना के आधार पर केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो,नीमच के प्रर्वतन स्टाफ ने जिला मन्दसौर के ताकरोवाड गांव में एक फार्म हाऊस से 24.800 कि0ग्रा0 अफीम जब्त की । अनुवर्ती कार्यवाही करने पर इसी गांव में अन्य मकान पर 100 ग्रा0 अफीम और जब्त की । इस मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया ।

हेरोइन **30.000 कि0ग्रा0** **जैसलमेर**

20.10.94 को पहले दी गई सूचना पर कार्यवाही करते हुए जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के आसूचना दल ने कुछ लोगों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे सीमा को पार कर रहे थे । घुसपैठियें अन्धेरे का लाभ उठाकर अपने दो थैलों को छोड़ कर भाग गए जिसमें 30 कि0ग्रा0 हेरोइन थी जिसका स्रोत एस0 डब्लयू0 ए०से हैं ।

हेरोइन **10.000 कि0ग्रा0** **तूतीकोरीन**

दिनांक 24.10.94 को एक सूचना के आधार पर तूतीकोरीन सीमाशुल्क द्वारा गश्त के समय दो लोगों को समुद्र किनारे देखा जो एक बंडल को छोडकर भाग गए । इस बंडल में 10 कि0ग्रा0 हेरोइन थी जिसे जब्त कर लिया गया । अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए 5 श्रीलंका नागरिकों को,उनकी नाव तथा अन्य अभिशंसी मदों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया ।

हेरोइन **17.000 कि0ग्रा0** **साचोर**

दिनांक 31.10.94 को अहमदाबाद नगर पुलिस ने राजस्थान के साचोर में राजस्थान से आए दो यात्रियों से पूछताछ के दौरान उनसे लगभग 17 कि0ग्रा0 हेरोइन जब्त की । दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया । स्वापक औषध को यूरोप में भेजा जाना था ।

नवम्बर

हेरोइन 31.000 कि0ग्रा0 बाड़मेर

दिनांक 9.11.94 को एक सूचना के आधार पर बाड़मेर पुलिस, राजस्थान ने शोबाला गांव में छापे के दौरान दो लोगों को देखा जो पुलिस को देखकर दो गन्नी थैलियों जिसमें 31 कि0ग्रा0 हेरोइन पोलिथीन में पैक थी, छोड़ कर भाग गए ,जिसको जब्त कर लिया गया । जब्त किया हुआ स्वापक औषध एस0डब्लयू0ए0 का था । पैकिट पर एम0 रमजान,चुंगी ठेकेदार,यू0सी0,न्यू चहू अंकित था ।

हेरोइन 9295 ग्राम कलकत्ता

9.11.94 को पूर्ववर्ती सूचना के आधार पर राजस्व आसूचना,निदेशालय,कलकत्ता ने एस0डब्लयू0ए0 द्वारा उत्पादित पोलीथिन के 9 पैकिटों में 9295 ग्राम हेरोइन एअरपोर्ट के पास खड़े ट्रक से जब्त की जिस पर विभिन्न प्रकार की मार्किंग की गई थी जैसे गुलबहार,ए0 एंड एफ लेबोटरी लि0 423 आदि । स्वापक औषध को ड्राईवर केबिन की पीछे वाली दीवार के भीतर विशेष रूप से बनाए गए कोटरों में छिपाई गई थी ।

गांजा 2619.000 कि0ग्रा0 अराह (बिहार)

दिनांक 9.11.94 को एक विशेष सूचना के आधार पर ने अराह सीमा शुलक नेक एक ट्रक को रोककर 2619 कि0ग्रा0 नेपाली गांजा बरामद किया । गांजे को कोयले राख में छिपाया गया था । दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

हेरोइन 8.000 कि0ग्रा0 नई दिल्ली

दिनांक 12.11.94 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सीमा शुल्क पर प्रस्थान हाल पर जर्मन नागरिक एक महिला को रोककर उसके स्काईबैग सूटकेस से 8 कि0ग्रा0 हेरोइन जब्त की गई । हेरोइन को एक-एक किलो के 8 भूरे रंग के पैकिटों में पैक किया गया था तथा उसके सफेद कपड़े के थैले में पैक किया हुआ था जिस पर '777' चिन्ह अंकित था । इन थैलों को गत्तों के बक्सों में रखा गया था जिन्हें उपहार में कागजों के साथ मिठाइयों तथा आवरणों के काम में लाया जाता है ।

मैथाक्वालोन 1462.500 कि0ग्रा0 तूतीकोरीन

दिनांक 23.11.94 को तूतीकोरीन सीमा शुल्क समुद्र बेस पार्टी द्वारा छानबीन तथा तहकीकात प्रचालन के पश्चात चिदाम्बरनार जिले के समुद्र के किनारे स्थित समुद्री झाडियों में छिपे दो थैलों को पाया जिसमें 1462.5 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स मिली ।

मैथाक्वालान 1906.000 कि0ग्रा0 बम्बई

29.11.94 को आसूचना के आधार पर राजस्व आसूचना निदेशालय बम्बई के अधिकारियों ने बम्बई गोदी में पाईप फिटिंग के प्रेषण की जांच की जिसे दुबई ले जाया जाना था । प्लास्टिक पैकिटों में पैक हुई 1906 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स गोलियां उसमें रखी मिली ।

दिसंबर

मैथाक्वालान **3000.000 कि0ग्रा0 तूतीकोरीन**

दिनांक 12.12.94 को तूतीकोरीन सीमा शुल्क ने मै0 पटेल रोडवेज के परिसर से 3000 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स की गोलियां जब्त की । इन मैनड्रेक्स की गोलियों को 7 सिलेंडरों में छिपा रखा था जिन्हे गुजरात से तूतीकोरीन भेजा गया था ।

मैनड्रेक्स गोलियां **435.200 कि0ग्रा0** **सूरत**

एसेटिक एनहाइड्राइड **25 पीपे**

दिनांक 16.12.94 को एकत्र की गई आसूचना के आधार पर सीमा शुल्क,सूरत के अधिकारियों ने एक फार्म के परिसर की छानबीन करके 435.200 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स गोलियां,एसेटिक एनहाइड्राइड के 25 पीपें तथा अन्य अभिशस्त सामग्री जब्त की ।

मैथाक्वालोन **2998.8 कि0ग्रा0** **बंगलौर**

दिनांक 17.12.94 को बंगलौर सीमा शुलक ने एक परिवहन कम्पनी के गोदाम की जांच पड़ताल की तथा पोलीथीन बैग में 2998.8 कि0ग्रा0 मैनड्रेक्स गोलियों को जब्त किया जिसमें एक तरफ डब्लयू तथा दूसरी तरफ स्वास्तिक बना हुआ है ।

चरस **58.000 कि0ग्रा0** **जैसलमेर**

दिनांक 20/21.12.94 को एक विशेष सूचना के आधार पर सीमा शुल्क,जैसलमेर तथा सीमा सुरक्षा बल ने संयुकत रूप से 58 किलोग्राम चरस बरामद की । जब्त किया गया माल लावारिस था । स्वापक औषध का स्रोत एस0 डब्लयू0 ए0 था ।

चरस/हशीश **56.624 कि0ग्रा0** **नई दिल्ली**

दिनांक 31.12.94 को नई दिल्ली सीमा शुल्क ने आई जी आई विमानपत्तन के प्रस्थान हाल से एक जर्मन लेडी को रोककर उसके कब्जे से पतली पोलिथीन शीट में पैक हुई 56.624 कि0ग्रा0 हशीश बरामद की जो कि सूटकेस तथा बैग में छिपाई हुई थी । स्वापक औषध कोक एमर्स्टडम को जाना था ।

हेरोइन **9.000 कि0ग्रा0** **फरीदकोट**

दिनांक 31.12.94 को एक विशेष सूचना के आधार पर फरीदकोट जिले की सीमा सुरक्षा बल की जी टीम ने बी0ओ0पी0 के निकट छापा मारा तथा पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ प्रवेश करते हुए कुछ धुसपैठियों को देख लिया । इन व्यक्तियों को चुनौती देने पर ये लोग अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग गए तथा 9 पोलीथिन पैकिट में 9 कि0ग्रा0 हेरोइन को छोड गए जिस पर उर्दू से अंकित किया हुआ था ।

राष्ट्रीय समन्वय

स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ पर राष्ट्रीय नीति,भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में समाविष्ट, निदेशक सिद्धान्तों पर आधारित है जिसमें स्पष्ट है कि 'राज्य चिकित्सा के उद्देश्यों के अलावा, स्वापक औषधों के उपभोग को निषेध करने के लिए प्रयत्नशील होंगे क्योंकि स्वापक औषधों की उन्मादता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगी ' । इस संबंध में उपर बताए गए संवैधानिक प्रावधान की सरकारी नीति को अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा भी संचालित किया जाता है । भारत इसमें हस्ताक्षर कर्ता है:

* 1972 के प्रोटोकाल द्वारा यथा संशोधित स्वापक औषधों में एकपक्षीय समझौता
* मन:प्रभावी पदार्थ 1971 पर समझौते
* स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ, 1988 में गैर कानूनी अवैध व्यापार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता ।

विषय में विस्तृत वैधानिक नीति तीन केन्द्रीय अधिनियमों में समाविष्ट है अर्थात स्वापक औषध तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940, स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 के गैरकानूनी व्यापार को दूर करना । स्वापक औषध दुरूपयोग नियंत्रण का उत्तरदायित्व विभिन्न मंत्रालयों,विभागों,तथा संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । इसमें वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग शामिल है जो कि स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रशासकों के रूप में केन्द्रक समन्वय की भूमिका अदा करते हैं ।

स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 , 14 नवंबर 1985 से प्रभाव में आया जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यो तथा शक्तियों का प्रयोग के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन के प्रावधान को निश्चित किया गया है ।

शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अपने दिल्ली में मुख्यालय के साथ का गठन 17 मार्च, 1986 में हुआ था । केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के आधार पर ब्यूरो निम्नलिखित के संबंध में मानदण्डों को लेने के लिए केन्द्रीय सरकार की शकितयों का प्रयोग एवं कार्य करता है ।

(I) एन0डी0पी0एस0 एक्ट,सीमा शुल्क अधिनियम तथा स्वापक तथा प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों तथा एन डी पी एस अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन प्रावधान के संबंध में निश्चित समय के लिए प्रभाव में लाया गया कोई अन्य कानून की कार्यवाही का समन्वय ।

(II) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा प्रोटोकालों, जो वर्तमान में प्रभाव में है या जो अनुसमर्थित होंगे या भविष्य में भारत द्वारा सम्मिलित होने वालों के संबंध में प्रत्युपायों के आबन्धों का कार्यान्वयन ।

(III) इन स्वापक औषधों तथा पदार्थो के अवैध व्यापार के निवारण तथा उन्मूलन के लिए सुसाध्य समन्वय तथा व्यापक कार्यवाही के लिए विदेशों तथा संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित प्राधिकरणों को सहायता ।

(iv) स्वापक औषध के संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों तथा संगठनों द्वारा की गई कार्यवाही का समन्वय ।

जबकि स्वापक औषधों मामलों का समग्र समन्वय का कार्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है तथापि मामले में अन्य विभिन्न कार्यों का संचालन विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा किया जाता है । औषधीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्य वाले अनुज्ञा संबंधी कार्य राजस्व विभाग,औषध नियंत्रक तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के उत्पाद शुल्क आयुक्त के अधीन स्वापक आयुक्त द्वारा निष्पादित किए जाते है । उनके पास शिकायतों पर विचार करने तथा विरोधों का पता लगाने के लिए प्रवर्तन शक्तियां हैं । स्वास्थ्य इलाज तथा अस्पताल संबंधी सुविधाएं देने का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभाग का है । वे स्वापक औषध तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 का संचालन भी करते हैं जिसमें मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में अनुज्ञा तथा विनियमन के महत्वपूर्ण पहलू हैं । व्यसन तथा अव्यसन प्रयासों के निवारण के लोक कल्याण पहलू सार्वजनिक शिक्षा तथा मांग कमी तथा व्यसनों के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण का उत्तरदायित्व कल्याण मंत्रालय तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कल्याण विभागों का है जो मुख्यत: गैर सरकारी सामाजिक कल्याण संगठन चलाते है । एन0डी0पी0एस0 अधिनियम 1985 के सामान्य प्रवर्तन का प्रावधान की देखरेख अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है जैसे कि सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,राज्य पुलिस, आर्थिक आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो इत्यादि । पारा सैनिक जैसे सीमा सुरक्षा बल,केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,तटरक्षक इत्यादि भी स्वापक औषधों की तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है ।

पूरे देश में स्वापक औषध संबंधी मामलों के प्रचालन समन्वय के लिए बहु-अनुशासनात्मक प्रवर्तन एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक नेटवर्क स्थापित कर दिया गया है ।

स्वापक औषध संबंधी कार्य में लगी विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक ने यह सुनिश्चित किया है कि निम्नलिखित मंत्रालयों/संगठनों/राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ तीन मास में एक बार समन्वय बैठक बुलाई जाए जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वे संयुक्त सचिव/महानिरीक्षक पुलिस के स्तर के अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए नामित करें ।

1. गृह मंत्रालय
2. राजस्व आसूचना निदेशालय
3. केन्द्रीय जांच ब्यूरो
4. सीमा सुरक्षा बल
5. स्वापक आयुक्त के संगठन
6. मध्यप्रदेश सरकार
7. उत्तरप्रदेश सरकार
8. राजस्थान सरकार
9. बम्बई पुलिस
10. पंजाब पुलिस

समन्वय बैठक की पहली बैठक 9 फरवरी 1994 को दूसरी बैठक 9 मई, 1994 को तीसरी 8 अगस्त 1994 तथा चौथी 23 नवंबर,1994 को हुई । बैठकों के दौरान स्वापक आतंकवाद के साथ प्रति स्वापक उपायों संबंधी मामलें तथा वर्तमान प्रबंधों की समीक्षा पर विचार विमर्श किया जाता है ।

दिनांक 10 अगस्त,1993 को वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षा में गठित सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क तथा राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा स्वापक औषध कानून प्रवर्तन पर एक उच्च स्तरीय समिति की एक बैठक 8 फरवरी 1994 को,स्वापक औषधों के विभिन्न पहुलओं के व्यवहार के लिए वर्तमान आधारी संरचना प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई ।

राजस्व सचिव श्री एम0 आर0 शिवरामन ने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए अफीम के गैरकानूनी उत्पादन, व्यापार तथा खेती के क्रियाकलापों की जांच करने के उपायों की श्रखंला के बारे में बताया । उन्होंने सूचित किया कि किसान प्राय:अफीम पोस्त खेती की गैरकानूनी रोक के विचार के ग्राही होते है जबकि वे फसल प्रतिस्थापन कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं । विभाग विभिन्न एजेंसियों जैसे केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के साथ फसल प्रतिस्थापन साधन कार्यक्रम तथा किसानों को बीज खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी संपर्क में रहता है ।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ परामर्श करने पर भंडारण के समय न्यूनतम हानि से बचने के लिए अफीम के भंडारण बदलने के लिए परंपरागत टंकियों की जगह उन्नत प्लास्टिक के डिब्बों का प्रयोग वाली एक योजना कार्यान्वित की गई है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंस के लिए कम्पयूटीकृत प्रणाली तथा लाइसेंसधारियों के लिए चैक से भुगतान की प्रणाली प्रयोग में लाई जाएगी ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्वापक औषध के अवैध व्यापार को समाप्त करने में किए गए प्रयासों का ब्यौरा दिया ।

सदस्यों ने राजस्व विभाग द्वारा किए गए उपायों की सराहना की तथा वर्तमान कानूनों के अत्यधिक प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया । यह सुझाव था कि जबकि स्वापक औषधों को नष्ट करना युवा मन की उपज है तथापि लोक जागृति तथा शैक्षिक कार्यक्रम के विस्तार की भी आवश्यकता है ।

बैठक में भाग लेने वालों में संसद सदस्य श्री सुधीर सावंत,श्री सुनील दत्त श्री जसवंत सिंह श्रीमती सरोज दुबे श्री राम नरेश यादव श्री वी नारायण स्वामी श्रीमती सरला माहेश्वरी श्री नारायण सिंह मानाकलाओं,फादर जांय परेरा विशेष सचिव (गृह) तथा कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया ।

प्रवर्तन क्रियाकलापों में वृद्धि होने के कारण न्यायालय में संचित मामलों के निपटारे में दबाव बढ़ा है । स्वापक औषधों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 94 तक स्वापक अपराधों के व्यवहार के लिए 56 विशेष न्यायालय गठित किए है । ऐसे 15 न्यायालय महाराष्ट्र में,10 दिल्ली में 8 नागालैंड में,6 तमिलनाडु में,5 मेघालय में पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर प्रत्येक में 4 तथा राजस्थान त्रिपुरा सिक्किम तथा गोवा प्रत्येक में । न्यायालय है तथा और अधिक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने हैं । एन0डी0पी0एस0 एक्ट अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय गठित किए जाने का उत्तरदायित्व राज्य का है ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों के लिए सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा राज्य तथा केन्द्र के पुलिस प्रशिक्षण संगठनों के माध्यम से स्वापक औषध कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अग्रसर है । यू0 एन0डी0 सी0 पी0 की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध है तथा भारत सरकार इन संस्थानों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ उन्हें पाठ्यक्रम मापदंड प्रशिक्षण साहित्य तथा कुशल व्यक्तियों की सेवा प्रदान करता है।

पिट एन डी पी एस अधिनियम स्वापक औषध अवैध व्यापारियों के लिए अधिकतम दो वर्षो के लिए नजरबंदी प्रवर्तन प्रदान करता है । पिट एन डी पी एस कक्ष स्वापक ओषध मामलों में नजरबंदी प्रवर्तन के साथ सभी मामलों में नजरबंदी आदेश जारी करने तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है ।वर्ष 1994 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा 74 नजरबंदी आदेश जारी किए गए तथा 62 लोगों को नजरबंद किया गया । इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 117 नजरबंदी आदेश जारी किए गए तथा 89 लोगों को नजरबंद किया गया ।

स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के विरूद्ध लडाई में लगे प्रवर्तन अधिकारियों के अतिरिक्त जोखिम के लिए प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार ने इसके द्वारा प्रदान की गई निधी से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से एक पुरस्कार की योजना का सूत्रीकरण किया है । वर्ष 1994-95 के दोरान विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों तथा उनके मुखबिरों को वितरण के लिए 170 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 24 मार्च 1994 को स्कोप सभागार में उन अधिकारियों को, जिन्होंने देश में स्वापक औषध प्रवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की भूमिका निभाई है ,बधाई देने के लिए एक समारोह आयोजित किया है । इस समारोह की अध्यक्षता वित्त मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने की थी ।

वित्त मंत्री ने विभिन्न स्वापक ओषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना के प्रतीक के रूप में एक करोड रूपए का चेक प्रदान किया है । नगद पुरस्कार के अलावा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक ने 65 अधिकारियों को प्रशंसा पत्र तथा प्रशंसा चक्र भी प्रदान किए ।

इन सम्मान पाने वालों में विभिन्न राज्यों के पुलिस संगठन,आसूचना ब्यूरो,सीमा सुरक्षा बल,राजस्व आसूचना निदेशालय,राज्य निषेध तथा उत्पाद शुल्क विभाग तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो शामिल है ।

मारत में वर्ष 1994 के दौरान विखण्डित की गई निर्माण सुविधाओं का ब्यौरा

जब्ती की तारीख	नष्ट की गई सुविधा का स्थान/प्रकार	अफीम	हेरोइन	मैथाक्वालोन गोलियां मात्रा कि0ग्रा0 में .)	मैथाक्वालोन पाउडर	एसीटक एन्हाइड्राइड (ली0)	अन्य स्वापक औषध रसायन (कि0ग्रा0)	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
11.1.94	महसाना गुजरात एच+एफ.		0.600	5001.100	100.000	330	250	5
25/26.2.94	हरिया फार्म मैसूर-साउथ एम			110.750	303.000	6	–	6
14.3.94	चित्तौडगढ एच	20.000	1.435	–	–	–	1.250	1
17.3.94	वही एच		9.000	–	–	4	5.000	2
6.7.94	वही एच	–	0.225	–	–	–	–	1
9.9.94	चित्तौडगढ एच+एम	1.800	16.300	16.800	–	–	18.500 सोडियम क्लोराइड	2
28.10.94/	मंदसौर	0.900	8.500	526.000	282.000			4

तारीख	सुविधा का स्थान प्रकार	अफीम	हेरोइन	मैथाक्वालोन गोलियां (मात्रा कि0ग्रा0 में)	मैथाक्वालोन पाउडर	एसेटिक एनहाइड्राइड [ली0]	अन्य स्वापक औषध [कि0ग्रा0]	गिरफ्तार व्यक्ति
1.11.94	एम0पी0 एच+ एफ							
17.12.94	चिखली [वलसाद] गुजरात एम		–	435.000	14966.000	25 बैरल		–
23.12.94	कोलाबा बम्बई एम	-	–	1.700	200.000	–		3
21/ 22.12.94	सलेम [टी0एन] एम	–	–	–	–	19.7 एम0टी0	20 एम0टी0 पैरासिटामोल पाउडर	

एच — हेरोइन
एम — मैथाक्वालोन
एच+ एम — हेरोइन तथा मैथाक्वालोन

अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय

भारत सरकार के स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ पर संयुक्त राष्ट्र से विभिन्न समझौतों में शामिल हुआ हे अत: इन समझोतों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए वचनबद्ध है । स्वापक ओषध तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 के अवैध व्यापार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार ने एक पुरोगामी रसायन एन एसेटिलानथरेनिलिक एसिड को मैथाक्वालोन बनाने के प्रयोग के लिए स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1986 के खंड 2(VIIA) के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 24.10.1994 के द्वारा एक नियंत्रित पदार्थ माना है । इस रसायन को अब एन0डी0पी0एस0 (नियंत्रित पदार्थ का विनियमन) आदेश, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ माना गया है ।

2. संयुक्त राष्ट्र विभिन्न अभिसमयों के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्वापक ओषध एवं मन:प्रभावी पदार्थो के अवेध व्यापार को रोकने के क्षेत्र में सहयोग पर करार किया गया । इस करार पर 6 जनवरी, 1994 को हस्ताक्षर किए गए है । भारत सरकार की ओर से सचिव,राजस्व विभाग ने करार पर हस्ताक्षर किए हें ।

3. भारत सरकार तथा अमेरिका सरकार के बीच द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर के अनुच्छेद । के अनुसरण में दो देशों के बीच जागरूकता बढाने के लिए सहयोगी उपाय तथा औषध अवेध व्यापार के प्रयोग तथा उत्पादन वितरण को रोकने के लिए अमरीका में दिनांक 18 मई, 1994 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हें । इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों सरकारों ने स्वापक विरोधी क्रियाकलापों के लिए जागरूकता की लम्बी अवधि के कार्यक्रम संयुक्त सहयोग आदि में बल देने पर सहमत हुए हैं ।

भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बेठकों,तथा सेमिनारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हे । भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय बेठकों/सेमिनारों/सम्मेलनो में सक्रिय रूप से भाग लिया हेः-

(I) स्वापक ओषध आयोग का वियना में 13-22 अप्रैल 1994 के दौरान 37 वां सत्र ।

(II) वाशिगंटन (यू एस ए) में दिनांक 17-19 मई,1994 के दौरान इन्टरपोल द्वारा आयोजित अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय हेरोइन अवेध व्यापार पर विश्व सम्मेलन ।

(III) सिडनी(आस्ट्रेलिया) में 29 मई,-2 जून 1994 के दोरान स्वापक ओषध दुरूपयोग पर एशिया प्रशांत सम्मेलन

(IV) सन सिटी (दक्षिण अफ्रीका) में दिनांक 21-28 अगस्त 1994 के दोरान मैथाक्वालोन के गैर कानूनी व्यापार पर विश्व सम्मेलन ।

(V) फ्रांस में 30 अगस्त-1 सितंबर 1994 के दोरान मन:प्रभावी पदार्थ तथा पुरोगामी रसायन पर चोथी अन्तर्राष्ट्रीय बेठक ।

(VI) वेलिंग्टन न्यूजीलेड में 13-19 नवंबर 1994 के दोरान राष्ट्रीय स्वापक ओषध कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुखों की 19 वी बेंठक

(VII) 26 से 29 नवंबर 1994 के दोरान ढाका में सार्क तकनीकी समिति की 9 वी बेठक

(VIII) दिनांक 18.12.94 से 25.12.1994 के दोरान मंगोन (म्यांमार) में स्वापक दुरूपयोग नियंत्रण तथा स्वापक ओषध तस्करी पर बेठक ।

इसके अतिरिक्त यू0एस0 भारतीय संयुक्त कार्यकारी दल की पांचवी बैठक नई दिल्ली में 16-17 मार्च

1994 के दौरान संपन्न हुई । यू0एस0 प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक औषध मामलों के उप सहायक सचिव श्री क्रिशनिसियो आरकोस ने की थी । स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख रहे । दोनो पक्ष इस बात से परिचित है कि स्वापक औषधों का अवेध व्यापार का निरंतर जारी रहना एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तथा इसका सभी स्तरों पर मुकाबला करने के लिए उनकी सरकारों से सहायता के लिए वचनबद्ध हैं ।

राष्ट्रीय स्वापक औषध नियंत्रण नीति,यू0एस0ए0 के निदेशक डा0 ली पी ब्राऊन ने यू एस प्रतिनिधिमंडल की एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दिनांक 16 नवंबर 1994 को भारत सरकार प्रति स्वापक औषध उपायों से संबंधित मामलों पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए दौरा किया ।

दिनांक 19 से 23 जुलाई 1994 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली ने मिडिल रैंज कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक सार्क प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया । भारत के अलावा इस कार्यशाला में बंग्लादेश,नेपाल,पाकिस्तान तथा श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया ।

वर्ष 1994 के दौरान यू0 के0 फ्रांस इसराइल तथा कनाडा की सरकार के सहयोग से कई स्वापक औषध निषेध प्रक्रिया का संचालन किया गया ।

लैंडमार्क मामले में इसराइल प्राधिकरण ने पोर्ट आशदोडे में मई 1994 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 2.5 टन हशीश जब्त की । अनुवर्ती कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप एक बड़े पैमाने पर स्वापक औषध करने वाला समूचा गिरोह तथा मनी लॉडरिंग को नष्ट कर दिया गया ।

एक अन्य बड़े मामले में हमारी सूचना के आधार पर डच प्राधिकरण ने दिनांक 11.7.1994 को रोटरडाम में 1450 कि0ग्रा0 हशीश जब्त की । हशीश को बंबई में निर्यात के लिए बस के कारनेट के नीचे छिपा रखा था ।

इसके अलावा जिन मामलों में विदेशी एजेंसियों से संयुक्त प्रचालन किया गया है,पूरे वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय एजेंसियों से सक्रिय रूप में संपर्क रखा गया है जैसे कि यू एन ए के इन्टरपोल,जर्मनी के बी0के0ए0 दक्षिण अफीका के सेनबेग,पाकिस्तान के ए0एन0एफ0 मारीशस सरकार,म्यांमार तथा कई अन्य देश ।

भारत और पाकिस्तान के बीच स्वापक औषध नियंत्रण में तकनीकी सहयोग के संबंध में वियना में जुलाई 1994 में हुई बैठक के निर्णयों के अनुसरण में सचिव स्तर की पहली इंडो-पाक बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15-16 सितंबर 1994 को संपन्न हुई ।

भारत की ओर से श्री एम0आर0 शिवरामन सचिव (राजस्व) ने तथा पाकिस्तान की ओर से श्री दिल जान खान,सचिव स्वापक नियंत्रण प्रभाग ने अध्यक्षता की । क्षेत्र में स्वापक ओषध अवैध व्यापार तथा माल की तस्करी को समाप्त करने के लिए वार्ता मैत्रीपूर्ण तथा स्पष्ट वातावरण में हुई तथा संबंधित सरकारों ने दोनों पक्षों के साथ वचनबद्धता के संकल्प को दोहराया ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक औषध नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना(यू एन डी सी पी) का कार्यान्व्यन

भारत सरकार ने 18.8.88 को यू एन डी ए सी अब यू एन डी सी पी के नाम से जाना जाता है के साथ स्वापक ओषध दुरूपयोग और स्वापक औषध अवैध व्यापार के उपायों को सुदृढ करने के लिए 20 मिलियन यू एस डालर की वित्तीय सहायता पर पांच वर्ष की अवधि के लिए करार किया । जबकि परियोजना भारत में मुख्य रूप से मांग को कम करने के उपायों तथा अफीम के वेध उत्पादन के नियंत्रण पर केन्द्रित है, उसने स्वापक ओषध अवेध व्यापार के विरूद्ध उपायों को सुदृढ बनाने पर भी ध्यान दिया था ।

यू एन डी सी पी से सहायता प्राप्त परियोजना 31.12.93 को समाप्त हो गई है, तथापि परियोजना में शामिल कई क्रियाकलाप जिनको लिया नहीं जा सका अब वर्ष 1994 के दोरान कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन है । इस उद्देश्य के लिए यू एन डी सी पी से सहायता प्राप्त परियोजना का शुरू में एक वर्ष की अवधि अर्थात 31.12.94 तक बढा रखा है । 1994 तक बढाई गई अवधि के दोरान हम नीचे दिए गए अनुच्छेदों के अनुसार क्रियाकलाप/लक्ष्य की उपलब्धि का कार्यान्वयन करते हैं ।

देश में प्रशिक्षण पाठयक्रमः यू एन डी सी पी परियोजना का एक मुख्य संघटक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रदान करने हेतु स्वापक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण है जिसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,सीमा शुल्क तथा स्वापक की राष्ट्रीय अकादमी,अपराध विज्ञान तथा न्यायालीय विज्ञान संस्थान,केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा विभिन्न राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा संचालित किया जाता हे । अब तक स्वापक ओषध कानून प्रवर्तन तथा इसके संबंधित मामलों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा जैसा ऊपर बताया गया है 24 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हे तथा वर्ष 1994 के दोरान 600 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया हे । परियोजना के अपने काल 1994 के अन्त तक ए0ए0सी0ई0एस0 तथा इसके क्षेत्रीय संस्थानों ने 6600 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया । प्रशिक्षण उपस्कर,स्वापक औषध जांच किट,कम्पयूटर तथा मुद्रक उपस्कर तथा श्रव्य-दृश्य उपस्करों को यू एन डी सी पी सहायता परियोजनाओं के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों को प्रदान किया जाता है ।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण परामर्श रिपोर्टः राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुविधाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट अब उपलब्ध हे तथा स्वापक औषध कानून प्रवर्तन तथा संबंध मामलों पर तथा मई 1994 में यू एन डी सी पी से सहायता प्राप्त दो परामर्शदाताओं अर्थात श्री/सुश्री टी0 अन्नताचारी,पूर्व महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तथा बी0 वी0 कुमार,पूर्व महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,जिन्हें इस ब्यूरो ने यू एन डी सी पी ही सहायता द्वारा नियुक्त किया है द्वारा भविष्य में मांग के तेयार कर ली गई है ।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों में स्वापक एककों के गठन तथा सुदृढीकरण की प्रगति पर श्री डेविड स्टाकले मिशन रिपोर्टः

इस रिपोर्ट को श्री डेविड स्टाकले द्वारा यू एन डी सी पी के एक परामर्शी ,रा प्रस्तुत की गई दूसरे साथ साथ यू एन डी सी पी द्वारा प्रदत्ता सहायता के संघटक तथा स्वापक नियंत्रण प्रचालनों को देश में सुधार के लिए विभिन्न पुलिस तथा सीमा शुल्क संगठनों द्वारा सृजित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के स्वापक कार्यो की समीक्षा की गई ।

रिपोर्ट की प्रति को सभी संबंधित एजेंसियों को उनके विचार मंगाने के लिए प्रचालित कर दिया गया है । वर्ष की समाप्ति के दोरान कुछ एजेंसियों से विचार प्राप्त हो गए हें तथा उनकी जांच की जा रही है ।

वर्ष 1994 के दौरान यू एन डी सी पी के वरिष्ठ अधिकारियों ने यू एन डीर सी पी परियोजनाओं पर विचार-विमर्श प्रगति की समीक्षा तथा कार्यान्वयन तथा यू एन डी सी पी के अधीन भविष्य की सहायता अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा किया । यू एन डी सी पी के उप कार्यकारी निदेशक श्री गेर्ड मेरेम के जनवरी 1994 के भारत दौरे के दोरान यू एन डी सी पी द्वारा विचार के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सुदृढीकरण के लिए परियोजना प्रस्ताव के साथ विततीय अवशय के विस्तार के लिए 15 मिलियन यू एस प्रदान किए । यू एन डी सी पी मुख,यालय वियना की ओर में कार्यक्रम विकास सलाहकार कु0 निर्मला विलियम ने भी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में यू एन डी सी पी परियोजना समाप्ति की अंतिम रिपोर्ट के साथ विभिन्न निर्णयों,मास्टर प्लान प्रशिक्षण परामर्शी रिपोर्ट तथा यू. एन डी सी पी के अंतर्गत भविष्य में निधि प्रदान करने पर विचार के लिए दौरा किया ।

स्वापक औषध दुरूपयोग नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट राष्ट्रीय मास्टर प्लानः स्वापक औषध दुरूपयोग नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट राष्ट्रीय प्लान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा यू एन डी सी पी के अधीन सहायता प्राप्त स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक श्री सी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में जुलाई 1994 को प्राप्त हुआ । इसकी प्रतियां जांच एवं कार्यान्वयन हेतु संबंधित एजेंसियों को परिचालित कर दी गई है । राज्य सरकारों तथ अन्य संगठनों को मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए विचार प्रेषित करने का आग्रह किया गया है ।

दूरसंचार/निगरानी उपस्करः वर्ष 1994 के दोरान यू एन डी सी पी की सहायता से केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आपूर्ति के लिए परिष्कृत दूरसंचार उपस्कर अर्थात टेलेफेक्स एच0एफ0/वी0एच0एफ0 से तथा निगरानी उपस्कर जेसे कि व्हीकल ट्रेकर इत्यादि प्राप्त हो गए है ।

सहभागिता प्रशिक्षणः स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो प्रतयेक में से एक अधिकारी को स्विटजरलेंड तथा जर्मनी में 9 नवंबर से 3 दिसंबर 1994 के दोरान यू एन डी सी पी की सहायता से क्राइप्टो फेक्स तथा अन्य निगरानी उपस्करों के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ।

देश में प्रशिक्षणः स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,नई दिल्ली में दूर संचार तथा निगरानी उपस्करों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित क्रेश पाठयक्रम प्रारंभ किए गए ।

(क) फरवरी 1994 में साइप्टो फेक्स प्रशिक्षण ।
(ख) अप्रेल 1994 में एच एफ संचार उपस्कर प्रशिक्षण
(ग) अगस्त-सितंबर 1994 में एच एफ संचार उपस्कर प्रशिक्षण
(घ) सितंबर 1994 में वी0एच0एफ संचार उपस्कर (मोटोरोला) प्रशिक्षण

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधिकारियों ने इन प्रशिक्षणों में भाग लिया । वाहन तथा उपस्करों तथा प्रशिक्षण दूरसंचार में सारे देश में कानून प्रवर्तन एजेंसी की गतिशीलता के परिणामस्वरूप स्वापक औषध की जब्त की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरणः सभी न्यायालयीय विज्ञान प्रयोगशाला केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला केन्द्रीय न्यायालयीय विज्ञान प्रयोगशाला की बेठक में उनके प्रमुखों ने भाग लिया जिसे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा यू एन डी सी पी ने संयुक्त रूप से आयोजित किया तथा उसमें फरवरी 1993 में वियना में यू एन प्रयोगशाला के प्रमुख

डा0 के0 सर्जेंडेरी ने भाग लिया । इसके परिणामस्वरूप यू एन डी सी पी को भेजने के लिए एक प्रश्नावली एफ0एस0एल सी आर सी एल तथा सी एफ एस एल को इस आग्रह के साथ भेज दी है कि वे विस्तृत ब्योरा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को भेज दें । इन प्रयोगशालाओं के निष्पादन का ब्योरा समेकित करके यू एन डी सी पी की वर्ष 1994 के दौरान भेज दिया है । इन प्रयोगशालाओं के निष्पादन के विश्लेषण के आधार पर सजेन्डरी ने देश में जब्त किए गए स्वापक ओषधों के नमूनों की जांच तथा विश्लेषण के लिए एफ एस एल उपक्रमों को सुदृढ करने के लिए कार्य योजना की एक श्रखंला की सिफारिश की है । सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हे ।

ड्राफ्ट परियोजना विचार/प्रस्ताव: जबकि यू एन डी सीर पी परियोजना की अवधि 31.12.94 को समाप्त हो गई हे वर्ष के अंत में यू एन डी सी पी को प्रचालन तथा जांच के लिए प्रेषित कर दिए गए है । इसी बीच परियोजना निधि का अनुरोध/परियोजना का विस्तार एक वर्ष के लिए 31 दिसंबर 95 तक चल रही परियोजनओं को पूरा करने के तर्क के साथ भेज दिया गया ।

वर्ष 1994 के दौरान उपलब्धि

पंजीकृत मामलों की कुल संख्या	जब्त की गई स्वापक औषधों की मात्रा (कि0ग्रा0 में)		व्यक्तियों की संख्या: गिरफ्तार	मुकद्मा चलाया गया	दोषी	पिट एन डी पी एस अधिनियम के अधीन नजरबंद	समाप्त किए गए स्वापक औषधों की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	
14657	अफीम	2256					हेरोइन	463
	मारफीन	51+44500 एम्पयू0					गांजा	12650
	हेरोइन	1011				123	हशीश	2234
	गांजा	187896	15452	9154	1245		अफीम	33.3
	हशीश	6992	(विदेशियों सहित)				मैथाक्वालोन	9449
	मैथाक्वालोन	45319						
	एल0एस0डी0	256 वर्ग कागज						
	एसेटिक एनहाइड्राइड	47740 ltrs.						

भांग पौध की नष्ट की गई अवैध कृषि की मात्रा - 858 एकड़

तोड़ी गई अवैध सुविधाओं की संख्या

- हेरोइन - 3
- मैथाक्वालोन - 4
- हेरोइन + मैथाक्वालोन - 3

संपति की अनुपलम्यता:-85067571 रू मूल्य की चल एवं अचल सम्पति

परिशिष्ट-II

एजेन्सी-वार जब्ती - 1994

एजेन्सी	मामलों की कुल संख्या	हेरोइन	अफीम	मारफीन	गांजा	हशीश	मैथाक्वालोन	कोकीन	एसेटिक एन्हाइड्राइड
				(मात्रा	किलोग्राम	में)			लि0
रा0 आ0 ब्यू0	29	15	.04	---	1170	1340	12820	---	---
सी0 सु0 ब0	180	177	8	0.5	1466	513	---	0.38	3650
स्वा0 नि0 ब्यू0	90	101	1.4	---	3228	261	676	---	---
के0 स्वा0 ब्यू0	70	22	463	---	168	1	---	---	---
सी0 शु0 एवं के0 उ0	417	152	26	30+4450	22621	1294	11361	---	25275
के0 जां0 ब्यू0	6	6	2	----	---	6	---	---	
राज्य पुलिस	13526	530	1751	20	144754	3570	20462	1.2	18815
राज्य आबकारी	339	8	---	----	14489	7	---	---	

परिशिष्ट III

वर्ष 1994 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों/सेमिनारों/प्रशिक्षणों में भारत ने भाग लिया

क्रम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	अभ्यर्पण
	श्री/सुश्री	
1.	एम0डी0 शर्मा,डी0जी0पी0,इम्फाल (मणिपुर) एम0 के0 दास,डी0आई0जी0 (सी आई डी) मणिपुर,इम्फाल आर0 भट्टाचार्यजी, अति0 डी0जी0,डी0आर0आई0, कलकत्ता ए0बी0 वोहरा,उप निदेशक,आई0 बी0 (मुख्या),दिल्ली बी0एम0 चेंगम्पा,डी0डी0 (सामान्य),बी0एस0एफ0 (मुख्या),दिल्ली डी0डी0 इंगती,सीमा शुलक के अतिरिक्त समाहर्ता,शिलांग टी0 हायोकिप,सहायक निदेशक,स्वा0नि0ब्यू0, इम्फाल	म्यांमार में दिनांक 28.2.1994 से 1.3.1994 तक हुई स्वापक औषध अवैध व्यापार को कम करने के विषय में सम्पर्क अधिकारी की बैठक
2.	ओमप्रकाश,क्षेत्रीय निदेशक,स्वा0नि0ब्यू0,बम्बई शैलेन्द्र शर्मा,सहायक निदेशक,स्वा0नि0ब्यू0 (मुख्या),दिल्ली डा0 राकेश घिलदयाल,सहयोगी प्रोफेसर,केम अस्पताल,बम्बई	मलेशिया में दिनांक 11.4.1994 से 15.4.1994 के दौरान एशियन बहु नगरीय जानपदिक रोग विज्ञान पर बैठक-सह-प्रशिक्षण
3.	ए0के0 श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव,एन0सी0बी0,नई दिल्ली	(I) बॉन में दिनांक 14.4.1994 से 15.4.94 के दौरान स्वापक औषध अवैध व्यापार तथा आतंकवाद को समाप्त करने के विषय में सहयोग देने पर बैठक । (II) ब्रुसेल में 18.4.94 से 19.4.94 के दौरान स्वापक औषध अवैध व्यापार तथा आतंकवाद समाप्त करने में सहयोग देने संबंधी बैठक । (III) पेरिस में दिनांक 20.4.1994 से 21.4.1994 के दौरान स्वापक औषध अवैध व्यापार तथा आतंकवाद समाप्त करने के विषय में सहयोग प्रदान करने संबंधी बैठक ।

4.	एम0आर0 शिवरामन,सचिव(राजस्व),वित्त मंत्रालय,राजस्व विभाग,नई दिल्ली जोगिन्दर सिंह,महानिदेशक,स्वा0नि0ब्यू0,दिल्ली भगवती प्रसाद,संयुक्त सचिव,कल्याण मंत्रालय	वियना में दिनांक 13.4.1994 से 22.4.94 के दौरान स्वापक औषध पर आयोग का 37 वां सत्र
5.	जोगिन्दर सिंह,महानिदेशक,स्वा0नि0ब्यू0,दिल्ली ओ0पी0 शर्मा,डी0जी0पी0,सी0आई0डी0,चंडीगढ़,पंजाब के0एन0ठाकुर,डी0जी0पी0,राजस्थान	वाशिंगटन में 17.5.1994 से 19.5.94 के दौरन इन्टरपोल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हेरोइन के अवैध व्यापार पर विश्व सम्मेलन ।
6.	एच0पी0कुमार,उप महानिदेशक,स्वा0नि0ब्यू0(मुख्या),नई दिल्ली भगवती प्रसाद,संयुक्त सचिव,कल्याण मंत्रालय	सिडनी में 29.5.95 से 2.6.94 के दौरान स्वापक औषध दुरूपयोग पर एशिया प्रशांत सम्मेलन
7.	ए0एम0 प्रसाद,उप महानिदेशक,स्वा0नि0ब्यू0,नई दिल्ली	मारीशस में 19.8.94 को तथा जाम्बिया में 27.8.94 को स्वापक औषध अवैध मामलों पर अधिकारिक विचार विमर्श
8.	एस0एन0सिन्हा,डी0जी0पी0,गुजरात ए0एम0प्रसाद,डी0डी0जी0,स्वा0नि0ब्यू0,नई दिल्ली टी0सी0 वानखेड़े,डी आई जी,पुलिस,महाराष्ट्र	दक्षिण अफ्रीका में 21.8.94 से 25.8.94 के दौरान इन्टरपोल द्वारा मैथाक्वालोन के गैर कानूनी अवैध व्यापार पर अन्तर-क्षेत्रीय बैठक
9.	मंजय राणा,पुलिस अधीक्षक,मध्यप्रदेश	वाशिंगटन में 2.8.94 से 26.8.94 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक प्रवर्तन प्रबंध पर सेमिनार ।
10.	ए0के0 श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव,स्वा0न0ब्यू0,नई दिल्ली	लायोंस (फ्रांस) में दिनांक 30.8.94 से 1.9.94 के दौरान मन:प्रभावी पदार्थ तथा पुरोगामी पर चौथी अन्तर्राष्ट्रीय बैठक ।
11.	एम0वी0 भास्कर राव,डी जी तथा आई जी पी,आंध्र प्रदेश एस0सी0 बर्मण,अति0डी0जी0पी0,कर्नाटक	श्रीलंका में 27.9.94 से 30.9.94 के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए सार्क उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।
12.	जोगिन्दर सिंह,महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,नई दिल्ली	रोम (इटली) में दिनांक 28.9.94 से 4.10.94 के दौरान आई0सी0पी0ओ0-इन्टरपोल की 63 वी सामान्य एसेम्बली ।

13.	ए0के0 श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव,स्वा0नि0ब्यू0,नई दिल्ली	ढाका में 19.9.94 से 12.10.94 के दौरान स्वापक औषधों के दुरूपयोग को रोकने के लिए सार्क तकनीकी समिति की 9 वीं बैठक
14.	एम0आर0 शिवरामन,सचिव (राजस्व),वित्त मंत्रालय जोगिन्दर सिंह,महानिदेशक,स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,नई दिल्ली	न्यूजीलैंड में 13.11.94 से 19.11.94 के दौरान राष्ट्रीय स्वापक औषध कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुखों की 19 वीं बैठक
15.	सी0पी0 श्रीवास्तव,सहायक निदेशक,(संचार),स्वा0नि0ब्यू0,नई दिल्ली मन्देर सिंह,रेडियों तकनीकीशियन,केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो,नई दिल्ली	(i) स्विटजरलैड में 7.11.94 से 28.11.94 के दौरान स्वा0 नि0 ब्यू0 तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधिकारियों को क्राइप्टो उपस्करों के संचालन के लिए प्रशिक्षण (ii) जर्मनी में दिनांक 29.11.94 से 3.12.94 के दौरान स्वा0नि0ब्यू0 तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अधिकारियों को क्राइप्टो उपस्करों के संचालन के लिए प्रशिक्षण
16.	ए0के0 श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव (एन),स्वा0नि0ब्यू0,नई दिल्ली	वियना में 18.12.94 से 21.12.94 के दौरान यू एन डी सी पी द्वारा ड्राफ्ट माडल विधि-निर्माण के लिए विशेषज्ञ समूह बैठक
17.	ए0आर0 शिवरामन,सचिव (राजस्व),वित्त मंत्रालय जोगिन्दर सिंह,महानिदेशक,स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,नई दिल्ली डी0 डी0 इंगती,सीमा शुल्क के अतिरिक्त समाहर्ता,शिलांग	मयांमार तथा थाइलैंड में दिनांक 18.12.94 तथा 22.12.94 के दौरान स्वापक औषध दुरूपयोग नियंत्रण पर राष्ट्रीय स्तर की बैठक

परिशिष्ट-IV

वर्ष 1994 के दौरान स्वापक औषध मामलों में भारत में गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिक

देश	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
यू0 के0	6
जर्मनी	3
इटली	3
केन्या	6
कनाडा	1
स्विटजरलैंड	1
जिम्बाबे	3
तन्जानिया	6
घाना	7
पाकिस्तान	7
श्रीलंका	15
सोमालिया	5
स्पेन	3
नाइजीरिया	6
मारीशस	3
नेपाल	4
बंगलादेश	4
मालद्वीप	2
दक्षिण अफ्रीका	1
अफगानिस्तान	1
जनेवा	3
इथोपिया	3
जाम्बिया	1
नार्वे	1
भूटान	6
आस्ट्रिया	1
अन्य	34
कुल	136

परिशिष्ट-V

वर्ष 1994 के दौरान एसेटिक एनहाइड्राइड की मुख्य जब्तियां

क्रम सं0	जब्ती की तारीख	जब्त की गई मात्रा (ली0)	जब्ती का स्थान	जब्ती एजेंसी	गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या
1.	7.1.1994	70	जैसलमेर	सीमा सुरक्षा बल	--
2.	28.1.1994	140	आर डी आई 1382 में सत्या		--
3.	27.1.1994	280	बी0पी0एन0 793,जोधपुर	सीमा सुरक्षा बल--	
4.	26.2.1994	6	बंगलौर	डी0आर0आई0	--
5.	7.3.1994	140	भारत-पाक सीमा,बाड़मेर	सीमा सुरक्षा बल	--
6.	26.3.1994	350	महसाना (गुजरात)	पुलिस,बंबई (एन0सी)	6
7.	10.4.1994	2.105	गांव भाइसोरा,जैसलमेर	सीमा शुल्क	1
8.	14.4.1994	280	गांव डुंगा,बारमेर	सीमा सुरक्षा बल	1
9.	25.4.1994	140	बी0एस0एफ0 के उत्तर-पश्चिम का 8 कि0मी0 चौकी पोर्ट पोचीनाल,राजस्थान	सीमा सुरक्षा बल	--
10.	30.4.1994	350	गांव बाहला,जैसलमेर,	पुलिस	--
11.	30.4.1994	10180	शाहदरा,उत्तर प्रदेश	उ0प्र0 पुलिस	1
12.	17.5.1994	105	गांव पारा,बारमेर	पुलिस	--
13.	7.5.1994	490	सरहद सेखसर,जोधपुर	पुलिस	--
14.	29.5.1994	198	सरहद गंगोला,बाड़मेर	पुलिस	--
15.	14.6.1994	70	सरहद खारीदर,जैसलमेर	पुलिस	--
16.	11.6.1994	105	सीमान्त चौकी,पंचाला बाड़मेर,	सीमा सुरक्षा बल	--
17.	31.5.1994	100	चौकी साजन का पार,बाड़मेर	सीमा सुरक्षा बल	--
18.	20.6.1994	210	सरहद गांव बहाला,जैसलमेर	पुलिस	--
19.	21.6.1994	140	सरहद गांव,सातू,जैसलमेर	पुलिस	--
20.	8.7.1994	315	सीमान्त चौकी,मितराब,बाड़मेर	सीमा सुरक्षा बल	--

21.	11.7.1994	80	गांव रघुवा	बाड़मेर,बी0एस0एफ0	--
22.	9.7.1994	279	शरद मितराव,बाड़मेर	पुलिस	--
23.	21.7.1994	140	गांव फूला तथा बेरीसिला जैसलमेर/बाड़मेर	सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क	--
24.	28.7.1994	1260	सीमान्त चौकी,के0के0डी0,बी0ओ0पी0 859/3/860 बारमेर		--
25.	26.7.1994	1902.5	गांव तरयाई,अखनूर,जम्मू	आर्मी	--
26.	5.8.1994	280	सरहद मौ ग,बाड़मेर	पुलिस	--
27.	24.8.1994	3815	छिन्दाल,अहमदाबाद	पुलिस	2
28.	30.8.1994	140	बी0ओ0पी0 एम0के0टी0 5 कि0मी0 एन0ई0 बाड़मेर	सीमा सुरक्षा बल	--
29.	7.11.1994	255	बी0ओ0पी0 846,847/3 तथा 848 बाड़मेर	बी0एस0एफ0/सीमा शुल्क	4
30.	7.11.1994	175	गांव वी0के0 वेरी,बाड़मेर	बी0एस0एफ/सीमा शुल्क	--
31.	8.12.1994	245	घाना क्षेत्र,जैसलमेर,	पुलिस	--
32.	21.12.1994	19710	सेलम,तमिलनाडु	सी0सी0ई0,सलेम	--
33.	30.12.1994	5	मिताराव,बाड़मेर	सीमा सुरक्षा बल	--

परिशिष्ट-VI

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

फा0सं0 1/51/94-एन0सी0बी0(समन्वय)

नई दिल्ली,24 अक्तूबर,1994

2 कार्तिक 1916 (शक)

अधिसूचना

एस0 ओ0 763-ई0, जबकि केन्द्रीय सरकार, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मेथाक्वालोन के निर्माण अथवा उत्पादन में एन-एसिटाइलेनथरेनिलिक एसिड के उपयोग तथा स्वापक ओषधों के अवेध व्यापार तथा मन:प्रभावी पदार्थ 1988 के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझोते के प्रावधान के कार्यान्वयन से भी संतुष्ट हें ।

अत: अब स्वापक ओषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) के खंड 2 के उप वाक्यांश (VIIA) में नियत की गई शक्तियों का उपयोग एन-एसिटाइलेनथरेनिलिक एसिड को उक्त उप वाक्यांश के लिए नियंत्रित पदार्थ के रूप में घोषित करते हें ।

(ए0 के0 श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव,भारत सरकार